https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है'

वर्ष-14, अंक-14 16-31 जुलाई, 2019 (पाक्षिक) ₹20

सदस्यता अभियान-2019

भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ

भाजपा की सदस्यता के लिए 8980808080 पर करें मिस्ड कॉल

तेलंगाना में भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

रंगारेड्डी (तेलंगाना) में पीपल का वृक्षारोपण करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं अन्य नेतागण

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते भाजपा कार्यकर्तागण

दिल्ली में भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख श्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल और अन्य भाजपा नेतागण

नागपुर (महाराष्ट्र) में भाजपा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 5 जुलाई को लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश किया। यह निर्धनों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों का हितैषी बजट है। इस बजट में अमीरों पर कर लगाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है।

वैचारिकी

डॉ. मुखर्जी पृथकतावादी विचारों के विरोधी थे 26

श्रद्धांजलि

बाल गंगाधर तिलक 28

अन्य

आर्थिक समीक्षा 2018-19 की मुख्य बातें 17

'बजट 2019' देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है: अमित शाह 18

यह बजट मोदीजी के 'न्यू इंडिया' की परिकल्पना को स्थापित और गतिशील करता है: जगत प्रकाश नड्डा 19

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में 5.1 प्रतिशत 23

राष्ट्रपति का अभिभाषण नए भारत का विजन है: नरेन्द्र मोदी 29

'जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है' 30

लोकतंत्र देश का संस्कार, संस्कृति और विरासत : नरेन्द्र मोदी 34

20 दल के साथ देश के दूत बनें: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जुलाई 2019 को दीनदयाल हस्तकला संकुल में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विभिन्न वर्ग के पांच...

22 सदस्यता अभियान के साथ स्वच्छता, पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान चलाएं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 6 जुलाई को...

23 एशिया-प्रशांत समूह ने यूएनएसी में दो साल की अस्थाई सदस्यता के लिए किया भारत की उम्मीदवारी का समर्थन

चीन और पाकिस्तान सहित 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा...

24 स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से देशभर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार अक्टूबर,...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

कृषि क्षेत्र और हमारे अन्नदाताओं का कठिन परिश्रम भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के हमारे सपने को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

@AmitShah

एक जमाना था जब संसद के अंदर ये कांग्रेस वाले हमको 'हम दो, हमारे दो' का ताना मारते थे। लेकिन आज ये हालात हैं कि तंज कसने वाली पार्टी को विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिल पाया। आज हम जिस शिखर पर हैं उसका आधार कोई व्यक्ति या परिवार नहीं, बल्कि हमारी विचारधारा और हमारा संगठन है।

@Ramlal

नई दिल्ली में "संगठन पर्व सदस्यता अभियान-2019" का शुभारम्भ। सदस्यता अभियान के माध्यम से संगठन को सर्वस्पर्शी व सर्वव्यापी बनाकर और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए लोकसभा की तरह विधानसभा चुनावों में भी प्रदर्शन करने का आह्वान।
'साथ आयें - देश बनायें'

facebook

भाजपा सरकार ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार है। इतना ही नहीं, बस में सफर करने वाले बुजुर्ग यात्री के सहयोगी को भी हमने किराये में 50% छूट देने का प्रावधान किया था।

— वसुंधरा राजे

स्वप्न के हाथ आसमान को छूते हैं मगर पांव ज़मीन छोड़ देते हैं और सत्य के पांव ज़मीन पर टिकते हैं मगर हाथ आसमान तक नहीं पहुंचते। स्वप्न और सत्य की भागीदारी ही विकास तक पहुंचाती है और बजट 2019 ने यही सुनिश्चित किया है।

— डॉ. विनय सहस्रबुद्धे

अयोध्या के दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली, विन्ध्यांचल की नवरात्रि और पुरी की जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर मथुरा में जन्माष्टमी का भी भव्य आयोजन किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय यह ध्यान रखें कि पर्व की मूल आत्मा बरकरार रहे।

— योगी आदित्यनाथ

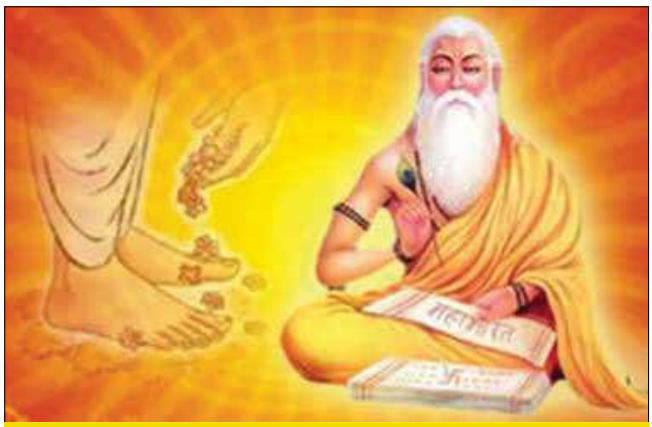

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गुरु पूर्णिमा (16 जुलाई)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सही मायनों में पूरे देश की आशा, विश्वास एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र में 'सबका विश्वास' के लिए भी प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, यह बजट सर्वसमावेशी एवं भविष्योन्मुखी संकल्प के साथ भारत को नई ऊंचाई देने वाला साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर पूरे राष्ट्र ने एक जबरदस्त जनादेश के माध्यम से अपनी आशाओं एवं आकांक्षाओं का दारोमदार छोड़ा है। साथ ही, एकजुट होकर सभी देशवासी अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम के लिए तैयार हैं। जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले पांच वर्ष देश की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए था और आने वाला पांच वर्ष देश की आकांक्षाओं के लिए होगा। इस बजट ने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए समाज के हर वर्ग तथा देश के हर पहलू का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण नए भारत के लिए एक जनप्रिय, विकासपरक, भविष्योन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई की पात्र हैं।

मोदी सरकार के सभी बजटों में प्रधानमंत्री की गरीब, वंचित एवं शोषित के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप अनेक अभिनव कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू हुई हैं। आज जब पूरा देश 'न्यू इंडिया' के सपनों को साकार करने में लगा है, यह बजट देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की जन अपेक्षाओं पर पूरा तरह खरा उतरता है।

यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी से हटकर विकास के एक नए मार्ग को प्रशस्त करता है, जिसमें हर एक चुनौती पर विजय पाने की इच्छाशक्ति दिखती है। एक ओर जहां इस बजट से छोटे उद्योग, स्टार्ट अप और मेक इन इंडिया की अवधारणा मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर महिला एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर एक स्वस्थ समाज की नींव रखने का प्रयास किया गया है। इसमें देश के किसानों को निर्यातक की भूमिका में तैयार कर उनके आय को दोगुना करने की राह पर कदम बढ़ाने की संकल्पशक्ति दिखती है। एक और बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है पर्यावरण पर जोर तथा प्रदूषणमुक्त नदियां एवं आकाश। देश में आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण एवं विकास के साथ–साथ डिजिटल इकॉनॉमी, चंद्रयान, गगनयान और अनेक उपग्रह की योजना से स्पष्ट है कि देश अब विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी नेतृत्व देने की क्षमता विकसित करने की ओर अग्रसर है। इन सभी अभिनव पहल के साथ 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मंत्र को जन भागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विजय है।

भविष्य के लिए पूरे देश का पथ प्रशस्त करते हुए इस बजट ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के पांच बजटों से मिले मजबूत आधार पर एक भव्य भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ाया है। टैक्स संरचना का सरलीकरण, आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, जनभागीदारी को बढ़ाते हुए व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी कर गरीब, वंचित एवं शोषित को अपने केन्द्र में इस बजट ने रखा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ठीक ही कहा कि पिछले पांच वर्षों में सरकार ने किसान, गरीब, दलित एवं अन्य वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाये और अब आने वाले पांच वर्षों में इसी सशक्तिकरण से ये वर्ग देश की शक्ति बन जायेंगे। इसी शक्ति केन्द्र से देश आने वाले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई एवं दूरदर्शी नेतृत्व में देश नित नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, 'अंत्योदय' के दर्शन पर अटूट विश्वास के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से तीव्र गति से जोड़ा जा रहा है। मोदी सरकार के सभी बजटों में प्रधानमंत्री की गरीब, वंचित एवं शोषित के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप अनेक अभिनव कल्याणकारी योजनाएं देश में लागू हुई हैं। आज जब पूरा देश 'न्यू इंडिया' के सपनों को साकार करने में लगा है, यह बजट देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की जन अपेक्षाओं पर पूरा तरह खरा उतरता है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर

निर्धनों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों का हितैषी बजट

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 5 जुलाई को लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश किया। यह निर्धनों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों का हितैषी बजट है। इस बजट में अमीरों पर कर लगाकर मध्यम वर्ग को राहत दी गई है।

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 5 जुलाई को लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में राजकोषीय अनुशासन को कायम रखते हुये 2022 तक सभी को बिजली, स्वच्छ ऊर्जा और मकान उपलब्ध कराने के साथ-साथ बजट में गांव, गरीब, किसान को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराये गए हैं। यहीं नहीं, इसमें 2024 तक नल से हर घर जल पहुंचाने का संकल्प भी है।

देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए गांव, गरीब और किसान, महिलाओं, छोटे उद्यियों एवं कारोबारियों, निवेशकों के लिए कई घोषणाएं की। इनका मकसद निवेश को आसान बनाना और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

श्रीमती सीतारमण ने दो घंटे से अधिक लंबे चले बजट भाषण में दो करोड़ रुपये और इससे अधिक की वार्षिक आय वालों पर अधिभार की दर बढ़ा दी। दो से पांच करोड़ रुपये की वार्षिक आय पर अब 25 प्रतिशत अधिभार देना होगा जबकि पांच करोड़ रुपये से अधिक कमाने वालों पर 37 प्रतिशत की दर से अधिभार का प्रस्ताव किया गया। इससे पहले 50 लाख से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम आय वाले व्यक्तिगत कर दाताओं पर 10 प्रतिशत और एक करोड़ से अधिक लेकिन दो करोड़ से कम आय वालों पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार लागू है।

गैस, जल, सूचना, हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गो जैसे

दशक के लिए दस बिन्दु की परिकल्पना

- जन भागीदारी से टीम इंडिया का निर्माणः न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन।
- हरी-भरी पृथ्वी और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत बनाना।
- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाना।
- गगनयान, चन्द्रयान, अन्य अंतरिक्ष और उपग्रह कार्यक्रमों की शुरुआत।
- वास्तविक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- नीली अर्थव्यवस्था।
- खाद्यान्नों, दालों, तिलहनों, फलों और सब्जियों में आत्मनिर्भरता और निर्यात।
- आयुष्मान भारत, पोषणयुक्त मां और बच्चा के जरिए स्वस्थ समाज की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा।
- एमएसएमई, मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्टार्ट-अप्स, रक्षा निर्माण, मोटर वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और बैटरियों तथा चिकित्सा उपकरणों पर जोर।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुये "न्यू इंडिया" के सपने को साकार करने की दिशा में अगले पांच साल के दौरान दस लाख करोड़ रुपये के निवेश करने की घोषणा की गई।

सस्ते मकानों के कर्ज पर अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये ब्याज के लिए कर कटौती देने का प्रस्ताव है। इससे आवास ऋण पर कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर छूट का लाभ मिलेगा। कर संसाधन जुटाने के लिये पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले सड़क एवं अवसंरचना उपकर और विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में एक-एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी। इससे सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

श्रीमती सीतारमण ने 27 लाख 86 हजार 349 करोड़ रुपये के कुल व्यय का बजट पेश किया, जिसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा छह लाख 34 हजार 398 करोड़ रुपये पर जीडीपी का 3.4 प्रतिशत रहा।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में 'न्यू इंडिया' के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा।

गैस, जल, सूचना, हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुये "न्यू इंडिया" के सपने को साकार करने की दिशा में अगले पांच साल के दौरान दस लाख करोड़ रुपये के निवेश करने की घोषणा की गई।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया। आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया। उन्होंने कहा कि हमने अंतिम छोर तक कार्यक्रमों को पहुंचाया।

बजट में देश के तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन सुविधा के तहत लाने की भी घोषणा की गयी है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी।

श्रीमती सीतारमण ने कि कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा, ''मैं इस लाभ को और बेहतर करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे भारत को विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार विमानन, मीडिया, एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) तथा बीमा क्षेत्रों को एफडीआई के लिए और खोलने को अंशधारकों के साथ विचार विमर्श करेगी।"

वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी। अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार का मकसद ''हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है।" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर दिये जाने वाले जोर की प्रतिध्वनि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुनाई दी। उन्होंने कहा, ''यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा।"

वित्त मंत्री ने किराये वाले मकानों के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते।

उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी। इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है। महिला उद्यियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी। उन्होंने कहा, ''हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है।"

उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें

बजट 21वीं सदी में भारत के विकास को तेजी देगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2019-20 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट .नये भारत के निर्माण के लिए है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा 2019-20 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बजट गरीबों को मजबूत बनाएगा और देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का सृजन करेगा।

प्रधानमंत्री ने बजट के संभावित लाभों की चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट देश में विकास की गति में तेजी लाएगा और मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ देगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 'बजट कर प्रक्रिया को सरल बनाएगा और देश में आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण में सहायक होगा।'

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बजट उद्यमों के साथ-साथ उद्यमियों को भी मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बजट से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए बजट में रोडमैप मौजूद है। प्रधानमंत्री ने 2019-20 के बजट को आशा से भरा बजट बताया। उन्होंने बताया कि यह बजट 21वीं शताब्दी में भारत के विकास को गति देगा।

प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र सरकार ने समाज के गरीब किसान,

अनुसूचित जाति तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए चौतरफा कदम उठाए। उन्होंने कहा यह सशक्तिकरण समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को अगले 5 वर्षों में देश का पावर हाउस बनाएगा। उन्होंने कहा कि देश इन सशक्त वर्गों से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने में ऊर्जा प्राप्त करेगा।

छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई सुविधा होगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी।

केन्द्रीय बजट 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं

केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने 5 जुलाई को अपना पहला बजट भाषण पढ़ा और संसद में 2019-20 का बजट पेश किया। बजट की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं :

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर

- सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है।
- वर्तमान वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।
- उद्योग जगत भारत का रोजगार सृजक और देश का संपदा सृजनकर्ता है।
- निम्न में निवेश की आवश्यकता है :
  - o बुनियादी ढांचा
  - o डिजिटल अर्थव्यवस्था
  - o छोटी और मझोली कंपनियों में नौकरियों का सृजन
- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए जन सामान्य के जीवन में बदलाव।

एमएसएमई

- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना
- सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ।
- नामजदगी की प्रक्रिया सरल, केवल आधार, बैंक खाता और स्व-घोषणा की आवश्यकता।

- एमएसएमई की ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
- एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि बिलों का भुगतान हो सके, ताकि सरकारी भुगतानों में देरी को खत्म किया जा सके।
- मार्च 2019 में शुरू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएसी) मानकों पर आधारित परिवहन के लिए भारत की पहली देश में विकसित प्रणाली।
- रूपे कार्ड पर चलने वाला इंटर ओपरेबल परिवहन कार्ड और यह धारक को बस में यात्रा करने, टोल टैक्स देने, पार्किंग शुल्क देने, रिटेल शॉपिंग की इजाजत देता है।

आधारभूत संरचना का विकास

- औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल-भाड़ा गलियारा।
- भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं, जलमार्ग विकास और उड़ान योजनाएं।
- भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्का में एक नेवीगेशनल लॉक का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा।
- गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही अगले चार वर्षों में लगभग चार गुना बढ़ जाने का अनुमान है, जिससे माल और यात्रियों की आवाजाही सस्ती होगी और आयात बिल में कमी आएगी।
- वर्ष 2018-2030 के दौरान रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।
- पटरियों के तेजी से विकास और उन्हें बिछाने, रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा यात्री माल-भाड़ा सेवा की सुपुर्दगी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव।
- देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क की 657 किलोमीटर लाइन चालू।
- विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल के विकास के लिए नीतिगत हस्तक्षेप।
- अपनी जमीन से विमानों के वित्त पोषण और उन्हें पट्टे पर देने का केन्द्र बनाने के लिए भारत को विनियामक रोडमैप के अनिवार्य तत्व क्रियान्वित करन।
- एफएएमई योजना के दूसरे चरण के लिए मंजूर 3 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का व्यय।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन का प्रस्ताव।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र

- जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के हर घर को जल उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी को घर उपलब्ध कराया जाएगा। अगले 5 वर्षों में पीएमजीएसवाई-3 के तहत 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,25,000 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कराया जाएगा।
- इन सड़कों की हर मौसम में कनेक्टिविटी 97 प्रतिशत से अधिक होगी, बांस, शहद और खादी कलस्टरों के लिए स्फूर्ति के तहत आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना।
- कृषि ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों में 75 हजार कुशल उद्यमियों के विकास के लिए 2019-20 के दौरान 20 आजीविका व्यापार केन्द्रों और 20 तकनीकी व्यापार केन्द्रों की स्थापना।

- एफएएमई योजना के अंतर्गत केवल अत्याधुनिक बैट्री चालित और पंजीकृत ई-वाहनों को ही प्रोत्साहन।
- राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जाएगी, ताकि एक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड सुनिश्चित की जा सके।
- एक राष्ट्र एक ग्रिड के अंतर्गत किफायती दरों पर राज्यों को बिजली।
- गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय जलमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए ब्लू प्रिंट उपलब्ध कराया जाए।
- अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए।
- पुराने और कार्य नहीं कर रहे संयंत्रों को बंद किया जाए।
- प्राकृतिक गैस की कमी के कारण गैस संयंत्र की क्षमता के कम इस्तेमाल की समस्या दूर करना।
- किराये के मकानों की बेहतरी के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।
- मॉडल किराया कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा और राज्यों को भेजा जाएगा।
- संयुक्त विकास और रियायत तंत्र का इस्तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा और केन्द्र सरकार तथा सीपीएसई द्वारा रखी गई भूमि पर सस्ते मकान बनाए जाएंगे।

अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए पूंजी स्रोत बढ़ाने के उपाय

- वर्ष 2019-20 में क्रेडिट गारंटी वर्धन निगम की स्थापना की जाएगी।
- अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजार को गहन करने सहित दीर्घकालिक बॉन्डों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।

- एफआईआई/एफपीआई द्वारा किए गए निवेश (आईडीएफ-एनबीएफसी द्वारा निर्गमित ऋण प्रतिभूतियों में) को विनिर्दिष्ट लॉकिंग अवधि के भीतर किसी घरेलू निवेश का प्रस्तावित अंतरण/बिक्री

बॉन्ड बाजार को गहन करने के उपाय

- स्टॉक एक्सचेंजों को लेटरल के रूप में एए दर्जे वाले बॉन्ड की अनुमति देने में सक्षम बनाना।
- कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की उपयोग सुलभता की समीक्षा होगी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके विमानन, मीडिया (एनीमेशन एवीजीसी) और बीमा क्षेत्र को एफडीआई के लिए और अधिक खोला जा सकता है।
- बीमा मध्यस्थताओं को 100 प्रतिशत एफडीआई।
- एकल बॉन्ड के खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय स्रोत के मापदंडों को आसान बनाना।
- एफपीआई निवेश के लिए वैधानिक या सांविधिक सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर क्षेत्रीय विदेशी निवेश सीमा तक करने का प्रस्ताव है। संबंधित कॉरपोरेटों को न्यूनतम सीमा राशि सीमित करने का विकल्प दिया जाता है।
- एफपीआई को अवसंरचना निवेश न्यास, रियल एस्टेट निवेश न्यास द्वारा जारी सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों को सब्सक्राइब करने की अनुमति
- एनआरआई पोर्टफोलियों निवेश योजना मार्ग का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मार्ग में विलय का प्रस्ताव।

प्रत्यक्ष कर

- 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर दी दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई।
- 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर अधिभार बढ़ाया गया।
- 'कर भुगतान' की श्रेणी में भारत की कारोबार करने की सुगमता वाली रैंकिंग 2017 में 172 से 2019 में 121 हो गई।
- पिछले पांच वर्षों में प्रत्यक्षकर राजस्व 78 प्रतिशत से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- कर सरलीकरण और जीवन में सुगमता- प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर अनुपालन को सुगम बनाना।

पैन और आधार में आपसी अदला-बदली

- जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
- जहां पैन की आवश्यकता है वहां आधार इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण

- व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ई-निर्धारण लागू किया जाएगा।
- शुरुआत में उन मामलों में ई-निर्धारण किया जाएगा जहां कुछ खास लेन-देनों या विसंगतियों का सत्यापन करना जरूरी है।

किफायती आवास

- 45 लाख रुपए तक के मूल्य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती।
- 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपए का समग्र लाभ।

इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन

- इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हेतु लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आयकर कटौती।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट।

अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय

- कर दाताओं की वास्तविक कठिनाईयों में कमी लाने के लिए कर कानूनों का सरलीकरण।
- कर रिटर्न दाखिल न करने के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु अधिकतम कर सीमा।
- आयकर अधिनिमय की धारा 50सीए और 56 के दुर्व्यवहार विरोधी प्रावधानों से उचित श्रेणियों के व्यक्तियों को छूट।

स्टार्ट-अप्स के लिए राहत

- स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से उत्पन्न पूंजीगत लाभ में छूट 2021 तक बढ़ाई गई।
- एंजल टैक्स का मामला सुलझाया गया-आवश्यक घोषणा दाखिल करने वाले और अपनी रिटर्न में जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्टार्ट-अप्स तथा उनके निवेशक शेयर प्रीमियम के मूल्यांकन के बारे में किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी।
- निवेशक और धनराशि के स्रोत की पहचान स्थापित करने के लिए ई-सत्यापन व्यवस्था।

लंबित आकलनों और शिकायत निवारण के लिए विशेष प्रशासनिक प्रबंध।

- सुपरवाइज़री अधिकारी की अनुमति के बिना आकलन अधिकारी ऐसे मामलों में जांच नहीं कर सकेगा।

एनबीएफसी

❖ जमा राशि लेकर खास बैड अथवा संदिग्ध ऋणों पर ब्याज के साथ-साथ महत्वपूर्ण जमा राशि पर वर्ष में कर लगाना, जिसमें वास्तव में ब्याज प्राप्त किया गया हो।

अप्रत्यक्ष कर

❖ मेक इन इंडिया
❖ काजू, पीवीसी, टाइल, मोटरवाहन के पुर्जे, संगमरमर, ऑप्टीकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा आदि पर आधारभूत सीमा शुल्क कर में वृद्धि।
❖ भारत में अब निर्मित होने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क कर में छूट वापस ली गई।
❖ विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूट वापस ली गई।
❖ आयातित पुस्तकों पर 5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क लगाया गया।
❖ निम्नलिखित कुछ कच्चे मालों पर सीमा शुल्क घटाया गया :
  o कृत्रिम किडनी के औजारों, डिस्पॉजिबल स्टर्लाइज्ड डाइलिसर और परमाणु बिजली संयंत्र आदि के लिए ईंधन।
  o विशेष इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामग्री।

रक्षा

❖ ऐसे रक्षा उपकरणों पर आधारभूत सीमा शुल्क से छूट, जिनका निर्माण भारत में नहीं हुआ हो।

अप्रत्यक्ष कर के अन्य प्रावधान

❖ पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना अधिशेष में वृद्धि।
❖ सोना और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
❖ केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर में जीएसटी व्यवस्था से पहले लंबित मुकदमें की शीघ्र समाप्ति हेतु लिगेसी विवाद निपटारा योजना।

ग्रामीण भारत

❖ उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के रहन-सहन में सुधार हुआ है और इससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ है।
❖ सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
❖ प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का उद्देश्य 2022 तक 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य तक पहुंचना।
❖ इसके दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।

3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

❖ चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी और यह 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी तथा अगले पांच वर्षों में यह 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर प्रधानमंत्री के विजन तक पहुंच जाएगी। अब यह दुनिया में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में यह 11वें स्थान पर थी। क्रय शक्ति के हिसाब से यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

❖ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत से सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले हैं। पात्र और व्यवहार्य बस्तियों को जोड़ने के लक्ष्य को 2022 से पहले 2019 में पूरा करना तय किया गया है, क्योंकि ऐसी 97 प्रतिशत बस्तियों को हर मौसम में संपर्कता प्रदान की गई है। ऐसा पिछले 1000 दिनों में तेज गति से प्रतिदिन 130 से 133 किलोमीटर सड़क निर्माण के कारण संभव हुआ है।
❖ पीएमजीएसवाई-III 80,250 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,2500 किलोमीटर सड़क को अपग्रेड करने की परिकल्पना की गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

❖ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्यपालन प्रबंधन संरचना स्थापित की जाएगी।
❖ अवसंरचना, आधुनिकीकरण, पता लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण सहित मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक अंतर को हल करना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

❖ पात्र और व्यवहार्य आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने की गति तेज करने के लिए इन्हें पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 2022 से कम करके 2019 किया गया है। ऐसे 97 प्रतिशत आवास स्थलों को सभी मौसमों के लिए अनुकूल सड़क संपर्क से जोड़ दिया गया है।
❖ हरित प्रौद्योगिकी, कचरा प्लास्टिक और शीत मिश्रित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 30,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है।
❖ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन किया जाएगा।

पारम्परिक उद्योग उन्नयन एवं पुनर्जीवन निधि योजना (एसएफयूआरटीआई)

- रोजगार के टिकाउ अवसरों के सृजन के लिए पारम्परिक उद्योगों को और अधिक उत्पादक, लाभदायक एवं सक्षम बनाने के लिए कलस्टर आधारित विकास में आसानी के लिए साझा सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किए जाएंगे।
- 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी पर विशेष जोर देते हुए 100 नये कलस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे 50,000 कारीगर आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल हो सकेंगे।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता बढ़ावा योजना (एएसपीआईआरई) को अंतिम रूप दिया गया।
- 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर (एलबीआई) और 20 औद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे।
- कृषि – ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 उद्यमियों को कौशल प्रदान किया जाएगा।
- किसानों के उत्पादों को उनके खेतों से मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देने और संबंधित क्रियाकलापों में लगे निजी उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।
- पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना तैयार करके सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूथ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- किसानों की बेहतर आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
- सरकार ई-नाम से किसानों को लाभान्वित करने के क्रम में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
- जीरो बजट फार्मिंग, जिसमें कुछ राज्यों के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

भारत में जल सुरक्षा

- नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा।
- जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 'हर घर जल' (पाइप द्वारा जल आपूर्ति) के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- स्थानीय स्तर पर जल की मांग और आपूर्ति पर आधारित प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
- इसके लक्ष्य तक पहुंचने के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को एक साथ मिलाया जाएगा।
- जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
- इस उद्देश्य के लिए क्षतिपूर्ति वन्यकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि का उपयोग किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान

- 2 अक्तूबर 2014 से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया।
- 5.6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हुए।
- प्रत्येक गांव में सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

- दो करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया गया।
- ग्रामीण और शहरी भेद को दूर करने के लिए भारत नेट के तहत प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है।
- पीपीपी प्रबंध के तहत वैश्विक दायित्व निधि का भारत नेट को गति प्रदान करने में उपयोग किया जाएगा।

शहरी भारत/अर्बन इंडिया

- प्रधानमंत्री आवास योजना –शहरी (पीएमएवाई-अर्बन)
- लगभग 81 लाख घरों के निर्माण के लिए 4.83 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई। इनमें 47 लाख घरों में निर्माण कार्य शुरू हुआ।
- 26 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण पूरा हुआ और लगभग 24 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए।
- नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अभी तक 13 लाख से भी अधिक घरों का निर्माण हुआ।
- 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- लगभग एक करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता एप्प डाउनलोड किया है।
- 2 अक्तूबर 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए गांधी जी के स्वच्छ भारत के संकल्प को अर्जित करने का लक्ष्य।

केन्द्रीय सरकार के अभूतपूर्व कार्य

	2014 से पूर्व	2014 के बाद
खाद्य सुरक्षा	1.2 लाख करोड़ रुपये	1.8 लाख करोड़ रुपये
पेटेंट की संख्या	4000	13,000 (2017-18)
न्यूनतम समर्थन मूल्य	89,740 करोड़ रुपये	1,71,127.48 करोड़ रुपये (2018-19)

- इस अवसर के उपलक्ष्य में 2 अक्तूबर 2019 को गांधी दर्शन, राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- युवाओं और समाज को सकारात्मक गांधीवादी मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी पीडिया का विकास किया गया है।
- रेलवे को दिल्ली–मेरठ मार्ग पर प्रस्तावित रेपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) जैसे एसटीवी निर्माणों के माध्यम से उपशहरी रेलवे में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- निम्न के द्वारा मेट्रो रेलवे के प्रयासों को बढ़ाने का प्रस्ताव है-
  - o अधिक से अधिक पीपीपी पहलों को प्रोत्साहित करना।
  - o स्वीकृत कार्य निश्चित रूप से पूरे करना।
  - o ट्रांजिट केन्द्रों के आसपास व्यापारिक गतिविधियां सुनिश्चित करने के लिए सहायक ट्रांजिट जनित विकास (टीओडी)।

युवा

- निम्नलिखित प्रस्तावों के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी।
  - o स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में प्रमुख परिवर्तन।
  - o बेहतर शासन प्रणालियां
  - o अनुसंधान और नवाचार पर अधिक ध्यान देना
- राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) में प्रस्ताव किया गया है-
  - o देश में अनुसंधान को धन उपलब्ध, समन्वय और बढ़ावा देना।
  - o विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी गई स्वतंत्र अनुसंधान अनुदान का उपयोग।
  - o देश में समग्र अनुसंधान पारिस्थिकी को मजबूत बनाना।
  - o अतिरिक्त निधियों के साथ इसे पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।
  - o वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 'विश्व स्तर के संस्थानों' हेतु 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से तीन गुणा से अधिक हैं।
- 'भारत में अध्ययन' के तहत विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई हेतु लाना।
- उच्च शिक्षा की नियामक प्रणालियों में व्यापक रूप से सुधार लाना।
  - o अधिक स्वायत्ता को बढ़ावा देना।
  - o बेहतर शैक्षिक परिणामों पर ध्यान देना।
- खेलो इंडिया योजना का सभी आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ विस्तार करना।
- खेलों को सभी स्तरों पर लोकप्रिय बनाने के लिए खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के विकास हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना।
- भाषा प्रशिक्षण, एएल, एलओटी, बिग डाटा, 3डी प्रिंटिंग, वर्चुअल रीयल्टी और रोबोटिक्स सहित वैश्विक मूल्य कौशल सैट के बारे में युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करने के बारे में अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- पंजीकरण को मानकीकृत और सरल बनाने तथा रिटर्न फाइल करने के लिए विविध श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए चार श्रम कोड के सैट का प्रस्ताव किया गया है।
- दिल्ली दूरदर्शन के चैनलों पर स्टार्ट अप्स के लिए और उनके ही द्वारा विशेष रूप से एक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रस्ताव है।
- 2020-25 अवधि के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना जारी रहेगी। बैंक मांग आधारित व्यापार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश

- सरकार की अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करना। 2019-20 में एक लाख 5 हजार करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को बढ़ाना।
- क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए पीएसबी को 70 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- अंतिम पांच वर्षों में खाद्य सुरक्षा बजट को दोगुना करना।
- 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च से विद्युत वाहनों को तेजी से अपनाना।
- अफ्रीका में 18 नए भारतीय दूतावास मिशन खोलना।
- विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों में 17 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास।
- 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करना।

नौकरियों का सृजन

- छोटी और मझोली कंपनियों में नौकरियों का सृजन
- निवेश का उत्कृष्ट दौर शुरू करने के लिए अनेक पहलें प्रस्तावित।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मुद्रा ऋणों के जरिए जन सामान्य के जीवन में बदलाव।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था

एमएसएमई

- सालाना 1.5 करोड़ रुपए से कम का कारोबार करने वाले करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ।

जीवन सरल बनाना

- लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदंड योजना

में शामिल हो गए हैं। इस योजना के तहत असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के मजदूरों को 60 साल की उम्र होने पर पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है।

- उज्जवला योजना के तहत लगभग 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए, जिससे वार्षिक रूप से 18,341 करोड़ रुपये की लागत बचत हुई।
- एलईडी बल्ब मिशन की पहुंच का उपयोग करते हुए सोलर स्टोव और बैटरी चार्जरों को बढ़ावा देना।
- रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए।

नारी तू नारायणी/महिला

- महिला नेतृत्व पहलों और आंदोलनों के लिए महिला केन्द्रित नीति निर्माण के दृष्टिकोण में बदलाव
- लैंगिक भेदभाव दूर करने के लिए सरकारी और निजी हितधारकों के साथ एक समिति प्रस्तावित की गई है।

एसएचजी

- सभी जिलों में महिला एसएचजी हित बढ़ोत्तरी कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
- जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्येक सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति होगी।

भारत का सॉफ्ट पावर

- भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए भारत आगमन पर 180 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बगैर आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव।
- पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े भारतीय कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने के लिए आवश्यक पेटेंट और भौगोलिक संकेतक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- मार्च, 2018 में सरकार ने अफ्रीका में 18 नये उच्चायोग खोलने को मंजूरी दी थी, इनमें से पांच खोले जा चुके हैं और अन्य चार दूतावास 2019-20 में खोले जाएंगे।
- भारत विकास सहयोग योजना (आईडीईएएस) को नया रूप देने का प्रस्ताव।
- विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के मॉडल के रूप में देश के 17 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है।
- देश की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मौजूदा डिजिटल डाटाओं के संग्रह को और सशक्त बनाना।

बैंक और वित्तीय क्षेत्र

- पिछले एक वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों के फंसे कर्ज में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। पिछले चार वर्षों में चार लाख करोड़ से अधिक की कर्ज वसूली हुई।
- सात वर्षों में प्रावधान कवरेज अनुपात सात वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर।
- घरेलू ऋण वृद्धि दर बढ़कर 13.8 प्रतिशत पर पहुंची।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए किए गए उपाय :

- ऋण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
- ऑनलाइन व्यक्तिगत ऋण, घर तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के ग्राहक द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- खाताधारकों को किसी अन्य द्वारा उनके खातों में जमा की गई राशि पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाने के उपाय करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए सुधार।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

- वित्त विधेयक में गैर-बैंकिंग कंपनियों पर रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकारों को सशक्त बनाने का प्रस्ताव।
- एनबीएफसी को पब्लिक इश्यू के जरिये धन जुटाने के लिए डीआरआर का सृजन करने की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी।
- सभी गैर-बैंकिंग कंपनियों को टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में सीधे भाग लेने की अनुमति देने के लिए कदम उठाये जाएंगे।
- आवास संबंधी सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियमन का अधिकार, एनएचबी से लेकर वापस आरबीआई को सौंपने का प्रस्ताव।
- अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना।
- एनपीएस ट्रस्ट को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से अलग रखने के प्रयास किये जाएंगे।
- नेट ओन्ड फंड की जरूरत को 5,000 करोड़ से कम करके 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव।
- देश में अंतर्राष्ट्रीय बीमा कारोबार की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में विदेशी बीमाकर्ताओं की शाखा खुलवाने की व्यवस्था।

गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान

- सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश के जरिये 1,05,000 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- सरकार एयर इंडिया में विनिवेश की रणनीति फिर से शुरू करेगी

और निजी क्षेत्रों को और साथ ही निजी क्षेत्रों की रणनीतिक भागीदारी के लिए और भी सीपीएसई को मौका देगी।

- सरकार पीएसयू की रणनीतिक बिक्री का भी रास्ता अपनाएगी तथा गैर-वित्तीय क्षेत्रों में पीएसयू को मजबूत तथा सुसंगठित बनाये रखने का काम जारी रहेगी।
- सरकार पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत बनाये रखने की नीति में आवश्यकता आने पर संशोधन करने पर विचार कर रही है।
- सरकार द्वारा 51 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करने के मामले में सरकार के नियंत्रण वाले संस्थानों की हिस्सेदारी को भी शामिल किया जाएगा।
- निवेश के लिए अतिरिक्त व्यवस्था।
  - o सरकारी सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी को फिर से ठीक करने की तैयारी में।
  - o बैंक अपने शेयरों की ज्यादा बिक्री के जरिये बाजार में अपनी पैठ बनाने की तैयारी में।
- सरकार, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) की तर्ज पर ईटीएफ में निवेश का एक विकल्प प्रदान करेगी।
- सरकार, सभी सूचीबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों में जनता की 25 प्रतिशत भागीदारी के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। सभी पीएसयू कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी को उभरते हुए बाजार सूचकांक के अनुरूप अधिकतम स्वीकृत सीमा तक बढ़ाया जाएगा।
- सरकार, विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में अपनी सकल उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से को बढ़ाना शुरू करेगी। इससे घरेलू बाजार सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।
- लोगों के इस्तेमाल के लिए जल्द ही एक रुपये, दो रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नये सिक्के उपलबध होंगे।

डिजिटल भुगतान

- बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत के टीडीएस का प्रस्ताव।
- ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिसका वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है, वे अपने ग्राहकों को कम लागत वाली डिजिटल भुगतान सुविधा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए व्यापारियों या ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- सेमी कंडक्टर, सौर ऊर्जा बैटरियां, लिथियम स्टोरेज बैटरियां, कम्प्यूटर सर्वर और लेपटॉप आदि जैसे उदीयमान और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी वैश्विक कंपनियों को संयंत्र लगाने के लिए आमंत्रित करना।
- ऐसी कंपनियों को आयकर छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों का लाभ प्रदान करना।

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना

- नामजदगी की प्रक्रिया सरल, केवल आधार, बैंक खाता और स्व-घोषणा की आवश्यकता।
- एमएसएमई की ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के लिए 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (ताजा और वृद्धिशील ऋण) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
- एमएसएमई के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि बिलों का भुगतान हो सके, ताकि सरकारी भुगतानों में देरी को खत्म किया जा सके।
- मार्च 2019 में शुरू नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएसी) मानकों पर आधारित परिवहन के लिए भारत की पहली देश में विकसित प्रणाली।
- औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल-भाड़ा गलियारा।

कर राजस्व बढ़ा

- केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों की बदौलत प्रत्यक्ष कर राजस्व वर्ष 2013-14 के 6.38 लाख करोड़ रुपये से 78 प्रतिशत से भी अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में तकरीबन 11.37 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। पिछले दो वर्षों में कर राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2014–2019 के दौरान की उपलब्धियां

- पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर की राशि जुड़ी है।
- भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पांच वर्ष पहले यह 11 स्थान पर था।
- क्रय शक्ति की समानता के दृष्टि से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- 2014-19 के दौरान राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाया तथा केन्द्र-राज्य संबंधों को गतिशीलता प्रदान की गई।
- अप्रत्यक्ष करों, दिवाला मामलों तथा रियल इस्टेट क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार किये गये।
- 2009-14 की तुलना में 2014-19 के बीच खाद्य सुरक्षा पर प्रतिवर्ष औसतन दोगुना खर्च किया गया।
- 2014 की तुलना में 2017-18 में तिगुने से भी पेटेंट जारी किये गये।
- नीति आयोग की योजनाओं और समर्थन से नये इंडिया के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। ■

आर्थिक समीक्षा 2018-19 की मुख्य बातें

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 4 जुलाई को संसद में आर्थिक समीक्षा 2018-19 पेश की। आर्थिक समीक्षा की 2018-19 की मुख्य बातें निम्न हैं:

- निजी निवेश प्रगति, रोजगार, निर्यात और मांग का मुख्य वाहक है।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान अमीरों को मिलने वाले लाभ के मार्ग गरीबों के लिये भी खोले गये हैं। प्रगति और वृहद अर्थव्यवस्था की स्थिरता का लाभ आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचा।
- 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए आठ प्रतिशत की सतत वास्तविक जीडीपी विकास दर की जरूरत है।
- डाटा को सार्वजनिक वस्तु के रूप प्रस्तुत करना।
- कानूनी सुधारों पर जोर देना।
- अधिक रोजगार सृजन और अधिक लाभकारी बनाने के लिए एमएसएमई को वित्तपोषित करना।
- 'ऑफ द पीपुल, बाई द पीपुल, फॉर द पीपुल' डाटा।
- पिछले एक दशक में भारत में आर्थिक नीति अनिश्चितता में महत्वपूर्ण कमी आई है। यह कमी तब भी आई है जब विशेष रूप से अमेरिका जैसे प्रमुख देशों में आर्थिक नीति अनिश्चितता बढ़ी थी।
- 2021-31 के दौरान कामकाजी आयु वाली आबादी में मोटे तौर पर 9.7 मिलियन प्रति वर्ष और 2031-41 के दौरान 4.2 मिलियन प्रति वर्ष वृद्धि होगी।
- अगले दो दशकों में प्रारंभिक स्कूल में जाने वाले बच्चों (5 से 14 साल आयु वर्ग) में काफी कमी आएगी।
- 93.1 प्रतिशत परिवारों की शौचालयों तक पहुंचा।
- जिन लोगों की शौचालयों तक पहुंच है, उनमें से 96.6 प्रतिशत ग्रामीण भारत में उनका उपयोग कर रहे है।
- 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) की कवरेज।
- परिवारों के लिए घरेलू शौचालय से वित्तीय बचत, वित्तीय लागत से औसतन 1.7 गुना और गरीब परिवारों के लिए 2.4 गुना बढ़ गई है।
- भारत को 2010 के मूल्यों पर अपने वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी में 5,000 डॉलर तक की वृद्धि करने और उच्च मध्य आय वर्ग में दाखिल होने के लिए अपनी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में 2.5 गुना वृद्धि किये जाने की जरूरत है।
- भारत में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की बदौलत 50,000 करोड़ रुपये की बचत हुई और कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में 108.28 मिलियन टन की कमी हुई।
- मनरेगा योजना में एनईएफएमएस और डीबीटी को लागू किये जाने से भुगतान में होने वाले विलंब में काफी कमी आई है।
- 2018-19 में भारत अब भी तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
- जीडीपी की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 7.2 प्रतिशत की जगह वर्ष 2018-19 में 6.8 प्रतिशत हुई।
- 2018-19 में मुद्रास्फीति की दर 3.4 प्रतिशत तक सीमित रही।
- जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे और 44.5 प्रतिशत (अनंतिम) के ऋण-जीडीपी अनुपात के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का समापन।
- आरबीआई की रिपोर्ट की अनुसार फंसे कर्ज वाले खातों से बैंकों ने 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- नामामि गंगे मिशन को एसडीजी-6 को हासिल करने के लिए नीतिगत प्राथमिकता के आधार पर लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 2015-20 की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था।
- दुनिया में दुग्ध के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा।
- पशु धन का विकास।
- 2018-19 में आठ बुनियादी उद्योगों के कुल सूचकांक में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि।
- विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2019 में भारत दुनिया के 190 देशों में 77वें स्थान पर पहुंचा। पहले की तुलना में 23 स्थान ऊपर उठा।
- 2018-19 में देश में सड़क निर्माण कार्यों में 30 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से निर्माण हुआ। 2014-15 में सड़क निर्माण 12 किलोमीटर प्रति दिन था।
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 में रेल ढुलाई और यात्री वाहन क्षमता में क्रमशः 5.33 और 0.64 की वृद्धि हुई।
- देश में 2018-19 के दौरान कुल टेलीफोन कनेक्शन 118.34 करोड़ पर पहुंच गया।
- बिजली की स्थापित क्षमता 2019 में 3,56,100 मेगावाट रही, जबकि 2018 में यह 3,44,002 मेगावाट थी।
- वर्ष 2018-19 में 10.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जबकि 2017-18 में इनकी संख्या 10.4 मिलियन थी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 2014 से करीब 1,90,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत करीब 1.54 करोड़ घरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, जबकि 31 मार्च, 2019 तक मूलभूत सुविधओं के साथ एक करोड़ पक्के मकान बनाने का लक्ष्य था।
- स्वस्थ भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना के जरिए पहुंच योग्य, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- देश भर में वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरूआत की गई, ताकि सस्ती और आयुष स्वास्थ्य सेवा दी जा सके।
- बजटीय आवंटन पर वास्तविक व्यय को बढ़ाकर और पिछले चार वर्ष में बजट आवंटन बढ़ाकर रोजगार सृजन योजना मनरेगा को प्राथमिकता दी गई। ■

'बजट 2019' देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 5 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संसद में पेश किये गए बजट 2019 की सराहना करते हुए कहा कि 'बजट 2019' देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है।

श्री शाह ने एक के बाद एक, सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के न्यू इंडिया के निर्माण के विजन को समर्पित एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो एक सर्व समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला रखता है जिसका अभ्युदय 130 करोड़ भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंख देता है। उन्होंने कहा कि आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं उनकी आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं।

गृह मंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया का यह बजट पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, आवास और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में किये गए अनुकरणीय कार्यों को रेखांकित करता है और इस आधार पर आशा की इस प्रबल भावना को प्रज्ज्वलित करता है कि भारत आने वाले वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि लोक-कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए और बिना खर्च बढ़ाए अर्थव्यवस्था को कैसे गतिशील बनाया जा सकता है, यह बजट इसका एक प्रभावी उदाहरण है।

श्री शाह ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट सुनहरे भारत के भविष्य का बजट है। यह उन क्षेत्रों के लिए एक सुसंबद्ध रोडमैप प्रदान करता है जो हमारे नागरिकों के बीच डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और कैशलेस लेनदेन पर सरकार का जोर देना भी सही दिशा में उठाया गया कदम है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि न्यू इंडिया के विजन को समर्पित आज का बजट, प्रत्येक नागरिक के लिए जल के हमारे सामूहिक सपनों को पूरा करने, समग्र भारत में विद्युत् कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और विशेष रूप से सनराइज सेक्टर में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को अधिक गतिशील स्टार्ट-अप हब बनने में सक्षम करेगा।

श्री शाह ने कहा कि न्यू इंडिया के लिए बजट में स्पष्ट रूप से भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है, जहां किसान समृद्ध व सशक्त हों, गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन यापन करें, मध्यम वर्ग को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिले और भारतीय उद्यमों को बढ़ावा मिले। यह वास्तव में आशा और मानव जीवन के सशक्तिकरण का बजट है। ■

यह बजट मोदीजी के 'न्यू इंडिया' की परिकल्पना को स्थापित और गतिशील करता है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 5 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संसद में पेश किये गए बजट की सराहना करते हुए कहा कि 'बजट 2019' देश के समग्र विकास एवं हर वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित बजट है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं आकांक्षाओं को समर्पित इस सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं।

श्री नड्डा ने कहा कि 'बजट 2019' समाज के सभी वर्गों के कल्याण को समाहित करता हुआ एक सर्वांगीण बजट है जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'न्यू इंडिया' की परिकल्पना को स्थापित और गतिशील करता है। यह 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' के मंत्र को और परिलक्षित करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि यह देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा एवं कल्याण के प्रति समर्पित बजट है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बजट 2019 मोदी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों से जारी आर्थिक सुधारों, रोजगार सृजन के नए आयामों, बुनियादी ढाँचे में सुधार और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का संकल्प लेने वाला बजट है। यह बजट 2022 तक पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का रोडमैप है जो भारत को अर्थतंत्र की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर करता है।

श्री नड्डा ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के हित में किये जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में यह एक बड़ा निर्णय है। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले दुकानदारों को "प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन" स्कीम के तहत पेंशन दिए जाने का निर्णय एक सराहनीय कदम है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि 2022 तक 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा जो टॉयलेट, शुद्ध पेय जल, गैस कनेक्शन और बिजली से युक्त होगा। यह गांवों के विकास के लिए उठाये गए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम हैं जिसके बारे में आज तक इतने व्यापक परिप्रेक्ष्य के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़कों निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त वाला देश बन जाएगा। यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी सपना है और हम समग्र भारतवासी इसे साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर को राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन सच्चे अर्थों में बापू को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि देश में क्रेडिट ग्रोथ 13.8% फीसदी से ऊपर तक गई है। क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बैंकिंग सुधार का इससे बड़ा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया। यह मोदी सरकार की सफल नीतियों का ही परिणाम है कि पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ NPA की रिकवरी हुई है।

श्री नड्डा ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की भी बात कही गई है जो एक प्रशंसनीय कदम है। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सरकार 'स्टडी इन इंडिया' योजना लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा दी जाएगी। इससे हमारे युवा विश्वस्तरीय स्पर्द्धा के लिए तैयार हो सकेंगे।

मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा इस बजट में उठाये गए क़दमों का जिक्र करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला कि अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी और 45 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी जायेगी, मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अपने घर का सपना देखते हैं। ■

दल के साथ देश के दूत बनें: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जुलाई 2019 को दीनदयाल हस्तकला संकुल में राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। विभिन्न वर्ग के पांच लोगों को सदस्यता दिलाते हुए टोल फ्री नंबर 8980808080 की लांचिंग की।

दीनदयाल हस्तकला संकुल में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदस्यता अभियान में भाजपा के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के लिए उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जहां कभी हमारा आधार भी नहीं था, वहां भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे। इसी का परिणाम है कि आज पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर, भाजपा के सदस्य के नाते अपने आपको हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता कमाल कर सकता है। उनके योगदान से पार्टी काफी आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि आज मुझे काशी से भाजपा सदस्यता अभियान को आरंभ करने का अवसर मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आरंभ होना सोने पर सुहागा है। उनके सपनों को हम पूरा कर सकें। इस आशा के साथ हम उन्हें

मोदीजी के भाषण के प्रमुख बिन्दु

-दल के साथ देश के दूत बनें।

-सरकार बनाने के लिए नहीं देश बनाने में जुटें।

-सदाचार भाजपा के लिए मजबूरी नहीं जरूरी है।

-समाज के हर वर्ग को दल का हिस्सा बनाएं।

-सभी से जुड़िए, सभी को जोड़िए।

-दल को देश के लिए उपयोगी बनाएं।

नमन करते हैं। सदस्यता अभियान का यह कार्यक्रम हमारी काशी में हो रहा है। एक सफल सदस्यता अभियान के लिए काशी के लोगों को शुभकामनाए। शास्त्री जी की मूर्ति का अनावरण फिर पौधारोपण का अभियान भी आज आरंभ हुआ। मैं भी उसका हिस्सा बना हूं।

भाजपा के लिए गर्व का क्षण : जेपी नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा के लिए यह गर्व का क्षण है कि हमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नेतृत्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदीजी एक कार्यकर्ता से देश के शीर्ष पद तक पहुंचे। उन्होंने बूथ प्रबंधन का मंत्र संगठन को दिया और लाखों कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर संगठन की संस्कृति समझाई है। आइए हम सभी सदस्यता पर्व मनाएं और सदस्यता के मामले में अपना ही रिकार्ड तोड़कर नया रिकार्ड बनाएं। साल 2000 से पहले संगठन का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा, जिसका आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी से परिचय न हो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को ये संदेश मिला था कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालना है, तो उस वक्त नरेन्द्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में संगठन का काम कर रहे थे।

अकेले 300 से अधिक सीट पाने का मतलब संगठन मजबूत : योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद भाजपा ने अपने मूल्य और आदर्शों से बिना डिगे, बिना हटे भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाया। देश में आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक हम बन सके हैं। अपनी उपलब्धियों के बल पर अकेले 300 से अधिक सीटों पर विजय पाना संगठन के प्रति निष्ठा और आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। ■

पंचकोसी मार्ग पर हरहुआ के कन्या विद्यालय में नौग्रह वाटिका के लिए पीपल का पौधा लगाने के साथ ही संसदीय क्षेत्र में 27 लाख पौधारोपण के अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर शास्त्री जी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडेय मौजूद रहे। इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र श्री अनिल शास्त्री और श्री सुनील शास्त्री भी मौजूद रहे।

सदस्यता अभियान के साथ स्वच्छता, पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान चलाएं: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 6 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को पार्टी का गढ़ बनाने की दिशा में काम करने के लिए कहा।

श्री अमित शाह ने कहा, 'भाजपा ने पहले कर्नाटक में सरकार बनाई थी फिर भी हमें कहा जाता है कि भाजपा दक्षिण में नहीं हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो या केरल हो..इन तीनों राज्यों को किसी दिन भाजपा का गढ़ बनाना होगा। यह तेलंगाना के लोगों के लिए मुकाबला है। आपको फैसला करना है कि तेलंगाना पहले गढ़ बनेगा या आंध्र या केरल।'

श्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को 17 राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट मिले जबकि कांग्रेस को 17 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने भरोसा जताया कि तेलंगाना में पार्टी का वोट प्रतिशत 19 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच जाएगा। शाह ने तेलंगाना में 18 लाख नए सदस्य शामिल करने का लक्ष्य रखा, जबकि राज्य ईकाई ने 12 लाख का लक्ष्य रखा था।

उन्होंने कहा कि अगर राज्य ईकाई यह नहीं कर सकी तो वह खुद हर जिले में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। श्री शाह ने कहा, 'मैंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव से पूछा तो उन्होंने मुझे तेलंगाना में मौजूदा 18 लाख सदस्यों में 12 लाख नए सदस्यों को जोड़ने की योजना बताई। हमें तेलंगाना में भाजपा को मजबूत करने और 18 लाख नए सदस्य बनाने की जरूरत है।'

हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाले विभिन्न पार्टी के नेताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि सभी पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि सभी पार्टियों में अच्छे लोग हैं और सभी अच्छे लोग मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ आएंगे।' श्री अमित शाह ने यह भी कहा, 'चुनावों में हार के बाद कई पार्टियां विभाजित हो जाती हैं क्योंकि वह व्यक्ति, परिवार और जाति के आधार पर चलती हैं लेकिन भाजपा के साथ ऐसा नहीं है।'

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए श्री अमित शाह ने कहा, 'अंग्रेजी वर्णमाला ए-बी-सी-डी में ऐसा कोई अक्षर नहीं है, जिस पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के टूटने के बाद कोई पार्टी नहीं बनी हो। कांग्रेस 'ओ', कांग्रेस 'यू' सभी (ए-बी-सी-डी...) नाम से कांग्रेस पार्टी बनी है। केवल एक हार के बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई।' उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी भी टूट गई। ऐसी पार्टियां हार बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वे व्यक्ति, परिवार और जाति के आधार पर चलती हैं।'

श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में केवल दो सदस्य होने के लिए भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वे 'परिवार नियोजन' में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह है कि कांग्रेस को संसद में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं मिला जबकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गांवों में सदस्यता अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और जल संरक्षण अभियान चलाने के लिए भी कहा है।

श्री अमित शाह ने भाजपा को 19 फीसदी मत देने के लिए तेलंगाना के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने जन संघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में उनकी भूमिका को याद किया। उन्होंने निजाम के शासन वाले हैदराबाद राज्य का भारत संघ में विलय करने के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमिका को भी याद किया।

सदस्यता अभियान का औपचारिक रूप से शुभारंभ करने से पहले भाजपा अध्यक्ष नजदीक के ममिदीपल्ली में एक आदिवासी परिवार के घर गए और वहां भोजन किया। ■

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में 5.1 प्रतिशत

इस्पात एवं विद्युत उत्पादन में अच्छी बढ़ोत्तरी के बल पर आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मई में 5.1 प्रतिशत रही। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बयान के मुताबिक कोयला, कच्चा तेल, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की बदौलत अप्रैल, 2019 में आठ प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर का आंकड़ा पूर्व के 2.6 प्रतिशत से संशोधित होकर 6.3 प्रतिशत पर पहुंच गया।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) द्वारा 17.2 प्रतिशत की सर्वाधिक बढ़ोतरी अप्रैल 2019 के इस्पात उत्पादन में की गई। जेपीसी ने अप्रैल 2019 से आठ कोर उद्योगों के सूचकांक के संकलन में शामिल करने हेतु अब तैयार इस्पात के उत्पादन के अंतर्गत जानकारी देने या रिपोर्टिंग करने के लिए 'सीआर क्वायल' आइटम के तहत 'एचआरपीओ' नामक उत्पाद को शामिल किया है। इस उत्पाद को शामिल करने से अप्रैल 2019 और मई 2019 में इस्पात की वृद्धि दर पर उल्लेखनीय सकारात्मक असर पड़ा है। इसके अलावा, जेपीसी ने 'एचआर क्वायल और नरम इस्पात की शीट' के उत्पादन में भी संशोधन के बाद बढ़ोतरी की है।

आठ कोर या प्रमुख उद्योगों में से पांच उद्योगों ने मई 2018 की तुलना में मई 2019 में धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की। इस्पात क्षेत्र ने मई 2018 की तुलना में मई 2019 में 19.9 प्रतिशत की दहाई अंकों वाली वृद्धि दर्ज की। बिजली क्षेत्र ने मई 2018 की तुलना में मई 2019 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई, जो पिछले छह महीनों में यानी नवम्बर 2018 के बाद सर्वाधिक है। अप्रैल-मई 2019-20 के दौरान बिजली उत्पादन 248.1 अरब यूनिटों का हुआ, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 232.7 अरब यूनिटों का उत्पादन हुआ था।

सीमेंट और कोयला क्षेत्रों ने मई 2018 की तुलना में मई 2019 में क्रमशः 2.8 तथा 1.8 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज की। कोयला उत्पादन मई 2019 में 58.62 मिलियन टन का हुआ, जबकि अप्रैल 2019 में 56.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ था। सीमेंट उत्पादन अप्रैल-मई 2019-20 के दौरान 57.7 मिलियन टन का हुआ, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 56.3 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन मई 2018 की तुलना में मई 2019 में 2662.359 मिलियन घन मीटर (एमसीएम) पर अपरिवर्तित या यथावत रहा है। हालांकि, कच्चे तेल, रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरकों के उत्पादन में मई 2018 की तुलना में मई 2019 के दौरान क्रमशः (-) 6.9, (-) 1.5 और (-) 1.0 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। ■

भारत में बेरोजगारी की वृद्धि दर अन्य देशों से कम

देश में बेराजगारी की वृद्धि दर बढ़ने संबंधी रिपोर्टों को खारिज करते हुये 3 जुलाई को भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने भारत में बेरोजगारी की दर वैश्विक स्तर पर सबसे कम होने की पुष्टि की।

केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में बताया कि भारत में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में गिरावट की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में भी पिछले वर्षों में व्यापक पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराये गये हैं।

श्री गंगवार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के हवाले से बताया कि चीन में बेरोजगारी की वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत है और एशिया प्रशांत देशों में यह 4.2 प्रतिशत है। वहीं भारत में बेरोजगारी की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है। उन्होंने समूह घ के पदों की भर्ती प्रक्रिया से साक्षात्कार को हटाने से जुड़े एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि इस वर्ग की भर्ती प्रक्रिया में सामान्यतः एक साल का समय लगता था। प्रक्रिया से साक्षात्कार हटाये जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया का समय कम हो गया है। इससे व्यवस्था को सुचारु बनाने में लाभ मिला है।

सरकारी नौकरियों में भर्ती के आंकड़े पेश करते हुये श्री गंगवार ने बताया कि 2014 से 2019 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 2,45,470 पदों पर भर्ती की गयी। श्री गंगवार ने कहा ''देश में नौकरी की कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात की है कि लोग स्थायी रोजगार चाहते हैं।'' ■

एशिया-प्रशांत समूह ने यूएनएसी में दो साल की अस्थाई सदस्यता के लिए किया भारत की उम्मीदवारी का समर्थन

भारत के लिए यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत

चीन और पाकिस्तान सहित 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में दो साल की अस्थाई सदस्यता के लिए सर्वसम्मति से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है और यह विश्व मंच पर देश की बढ़ती साख को दिखाता है।

पंद्रह सदस्यीय परिषद में 2021-2022 के कार्यकाल के लिए पांच अस्थाई सदस्यों का चुनाव जून 2020 के आस-पास होना है। इन सदस्यों का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने 25 जून को ट्वीट किया, ''सर्वसम्मति वाला कदम। एशिया-प्रशांत समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य के रूप में 2021/22 के दो साल के कार्यकाल के लिए भारत की उम्मीदवारी का अनुमोदन सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र में किया। सभी 55 सदस्यों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद।"

अकबरुद्दीन ने संदेश के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें कहा गया है, ''एशिया-प्रशांत समूह ने यूएनएससी में अस्थाई सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 55 देश, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्यकाल 2021-2022 के अस्थाई सदस्य के लिए एक मनोनीत..भारत।" इस वीडियो संदेश में भारत की उम्मीदवारी पेश करने के लिए एशिया-प्रशांत समूह के सभी देशों को धन्यवाद भी दिया गया।

भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले 55 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कुवैत, किर्गिजिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यामां, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, सीरिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा दो साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच अस्थाई सदस्यों का चुनाव करती है। यूएनएससी के पांच स्थाई सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं।

यूएनएससी की 10 अस्थाई सीटों का बंटवारा क्षेत्रीय आधार पर किया गया है। अफ्रीका और एशिया के हिस्से में पांच जबकि पूर्वी यूरोप के हिस्से में एक, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के हिस्से में दो, पश्चिमी यूरोप के हिस्से में दो सीटें हैं।

इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और हाल ही में 2011-12 में यूएनएससी का अस्थाई सदस्य रह चुका है। इस महीने की शुरुआत में एस्तोनिया, नाइजर, सेंट विन्सेंट एंड व ग्रेनाडिन्स, ट्यूनिशिया और वियतनाम को दो साल के लिए यूएनएससी का सदस्य चुना गया है। इनका कार्यकाल 2020 से शुरू हो रहा है। सेंट विन्सेंट एंड व ग्रेनाडिन्स सुरक्षा परिषद में जगह पाने वाला सबसे छोटा देश है। ■

विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून को समाप्त सप्ताह में 4.215 अरब डॉलर बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 426.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जून को यह जानकारी दी। इससे पहले का रिकार्ड 13 अप्रैल 2018 को बना था। उस समय यह 426.028 अरब डॉलर के स्तर पर था। पिछले समीक्षाधीन सप्ताह में भंडार 1.358 अरब डॉलर गिरकर 422.2 अरब डॉलर पर था। आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के चलते मुद्रा भंडार में तेजी दर्ज की गई। यह विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 21 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 4.202 अरब डॉलर बढ़कर 398.649 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान देश का सोना भंडार 22.958 अरब डॉलर के पूर्वस्तर पर रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से विशेष आहरण अधिकार 42 लाख डॉलर बढ़कर 1.453 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के पास देश का भंडार 96 लाख डॉलर बढ़कर 3.354 अरब डॉलर हो गया। ■

स्वच्छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से देशभर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार अक्टूबर, 2014 से देशभर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 5,64,658 गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। 14 जून, 2019 तक 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) कवरेज उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वास्थ्य निष्कर्षों में महत्वपूर्ण सुधार किया है।

शिशु मृत्यु दर में कमी

स्वच्छ भारत मिशन ने पांच साल से छोटे बच्चों में अतिसार और मलेरिया जैसे रोगों, मृत जन्म लेने वाले शिशुओं और कम वजन वाले शिशु का जन्म (2.5 किलोग्राम से कम वजन वाला नवजात शिशु) जैसे मामलों में कमी लाने में मदद की है। ये प्रभाव खासतौर पर उन जिलों में देखा गया, जहां 2015 में आईएचएचएल कवरेज कम थी।

स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के विशालतम स्वच्छता अभियानों में से एक है और इसकी बदौलत जबरदस्त बदलाव और उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हुए है। इस मिशन के अंतर्गत केवल शौचालयों के निर्माण पर ही नहीं, बल्कि समुदायों में व्यवहारिक बदलाव को प्रभावित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

2014 से लेकर 2018 तक निर्माण किये गये घरेलू शौचालयों की कुल संख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से प्रगति देखी गई है। शुरुआत में प्रतिवर्ष 50 लाख घरेलू शौचालयों से बढ़कर यह आंकड़ा अब 3 करोड़ शौचालय प्रति वर्ष हो चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन में गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराने (ओडीएफ) पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। 29 मई, 2019 को 5,61,014 गांवों (93.41 प्रतिशत), 2,48,847 ग्राम पंचायतों (96.20 प्रतिशत) – 6,091 ब्लॉक (88.60 प्रतिशत) और 618 जिलों (88.41 प्रतिशत) को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, 'स्वच्छ भारत मिशन जबरदस्त बदलाव लाने और कुल मिलाकर समाज को उल्लेखनीय लाभ प्रदान करने में समर्थ रहा है। दुनिया में चलाये गये विशालतम स्वच्छता अभियानों में से एक है। अनेक राज्य 100 प्रतिशत ओडीएफ और आईएचएचएल कवरेज का दर्जा प्राप्त कर चुके है और इस प्रकार लोगों विशेषकर महिलाओं की गरिमा में व्यापक बदलाव आया है।

इस मिशन ने स्कूलों, सड़कों और पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनवाने के जरिये महिला-पुरूष में भेदभाव को दूर करने के वाहक का कार्य किया है। स्कूलों में दाखिला लेने वाली लड़कियों की संख्या में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी मानकों में सुधार लाने के जरिये इस जनांदोलन का समाज पर परोक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।' ■

पिछले पांच वर्षों में महंगाई में निरंतर कमी

देश में महंगाई दर पिछले पांच वर्षों से निरंतर कम हो रही है। सीपीआई आधारित प्रमुख महंगाई दर वर्ष 2017-18 के 3.6 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 के 4.5 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 के 4.9 प्रतिशत और 2014-15 के 5.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 3.4 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार प्रमुख महंगाई दर अप्रैल 2018 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल 2019 में 2.9 प्रतिशत आंकी गई। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य महंगाई दर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान घटकर 0.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर आ गई।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर वर्ष 2016-17 के 1.7 प्रतिशत, वर्ष 2015-16 के (-) 3.7 प्रतिशत और वर्ष 2014-15 के 1.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 3.0 प्रतिशत के स्तर पर टिकी रही। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 4.3 प्रतिशत आंकी गई।

ग्रामीण और शहरी महंगाई में कमी

आर्थिक समीक्षा के अनुसार कम महंगाई दर के मौजूदा दौर की एक खास बात यह है कि ग्रामीण महंगाई के साथ-साथ शहरी महंगाई में भी कमी देखने को मिली। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि जुलाई, 2018 से ही शहरी महंगाई की तुलना में ग्रामीण महंगाई में कमी की गति अपेक्षाकृत ज्यादा तेज रही है। इसकी बदौलत मुख्य महंगाई दर भी घट गई।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि ग्रामीण महंगाई में कमी खाद्य महंगाई के घटने की बदौलत संभव हो पाई है जो पिछले छह महीनों (अक्टूबर, 2018 – मार्च 2019) से ऋणात्मक स्तर पर टिकी हुई है। ■

डॉ. मुखर्जी पृथकतावादी विचारों के विरोधी थे

दीनदयाल उपाध्याय

वह 23 जून का दिन था, जब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख़ अब्दुल्ला के कारागार में एक 'शहीद की मृत्यु' को अंगीकार किया। शेख़ अब्दुल्ला उस समय जम्मू-कश्मीर राज्य का अप्रतिबाधित 'प्रधानमंत्री' था। बाद में उसे न केवल पद से हटा दिया गया, वरन् पांच वर्ष के लिए जेल भी भेजा गया। छूटते ही उसने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की। आज वह पुनः जेल के सींखचों के भीतर है और उस पर राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप है। परंतु जिन कारणों से डॉ. मुखर्जी ने शेख़ की जेल में जाना स्वीकार किया और परिणामतः मृत्यु का आलिंगन किया, वह आज भी अधूरा है, अपूर्ण है।

डॉ. मुखर्जी का लक्ष्य

डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना जीवनदान कर डाला। भारतीय संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए स्वीकृत और संरक्षित मूलभूत अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्हें असह्य था। अब्दुल्ला और उसके सहयोगियों की निरंकुश वृत्ति को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़ित जम्मू की जनता से भी वे असंतुष्ट थे और इस बात से कदापि सहमत नहीं थे कि वहां की शेष जनता मुसलमानों के अत्याचारों को इसलिए चुपचाप सहन करती जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अंग बना रहे। उनकी दृष्टि में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार का पक्ष लेना और जनता के हितों की उपेक्षा करना अनुचित था। जम्मू और कश्मीर संबंधी अनेक ऐसी महत्त्वपूर्ण चीजों का उल्लेख डॉ. मुखर्जी ने पंडित नेहरू को लिखे गए अपने पत्र में किया है।"

संबंधों में सुधार

यह सही है कि जम्मू-कश्मीर प्रजा परिषद् और जनसंघ द्वारा किए गए आंदोलनों तथा डॉ. मुखर्जी के बलिदान के कारण इस राज्य के क़ानूनों और भारत के साथ संबंधों में अनेक सुधार हुए हैं, परंतु मूलरूप से संविधान तथा जनता के प्रति होने वाले व्यवहारों में आज भी साधारण से ही परिवर्तन दिखेंगे। इस दृष्टि से बख्शी और अब्दुल्ला की सरकारों का रुख़ प्रायः समान है। जम्मू कश्मीर राज्य आज भी भारत का अविभाज्य अंग नहीं है। जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार नहीं है। वहां पर शासन प्रांतीय सरकार के द्वारा ही होता है। भारतीय संसद् की प्रभुसत्ता इस राज्य के लिए प्रभुसत्ता नहीं। इस राज्य के अंतर्गत हमारी संपत्ति और नौकरी के लिए अनेक सीमाएं हैं।

राज्य सरकार के कुप्रयास

राज्य सरकार इस बात को समझाने का प्रयास कर रही है कि जनता को इस प्रकार की भेदभाव की नीति जारी रखने में अनेक लाभ हैं। एक निहित स्वार्थ को यहां लगाया जा रहा है। इस प्रकार जहां इससे भारत और जम्मू-कश्मीर की जनता के मध्य एक मनोवैज्ञानिक खाई उत्पन्न की जा रही है, वहीं पर राज्य के आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न की जाती है। भारत सरकार जबकि बिना किसी पक्षपात के विदेशी पूंजी को भी भारत में आमंत्रित करती है और अनेक बार तो उसका पक्ष भी लेती है; जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय उद्योगपतियों को अपना उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती। कश्मीर की जनता केंद्रीय सरकार के अनुदानों के बल पर नहीं जीवित रह सकती। उसे तो उपयोगी नौकरी प्रदान करनी होगी और यह तभी संभव है, जबकि राज्य का औद्योगीकरण हो। परंतु वर्तमान राज्य सरकार केवल दर्शकों और पर्यटकों को आमंत्रित करती है। किसी पूंजी लगाने वाले को वहां प्रवेश नहीं मिल सकता।

डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता के लिए अपना जीवनदान कर डाला। भारतीय संविधान द्वारा जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए स्वीकृत और संरक्षित मूलभूत अधिकारों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्हें असह्य था। अब्दुल्ला और उसके सहयोगियों की निरंकुश वृत्ति को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा उत्पीड़ित जम्मू की जनता से भी वे असंतुष्ट थे और इस बात से कदापि सहमत नहीं थे कि वहां की शेष जनता मुसलमानों के अत्याचारों को इसलिए चुपचाप सहन करती जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अंग बना रहे।

सरकारी पक्षपात

सरकारी प्रशासन ने जम्मू के 50,000 परिवारों को राज्यविहीन घोषित कर उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया है। भारत सरकार इस प्रकार के प्रवासी भारतीयों की, जो आज लंका में हैं, क्या चिंता कर सकती है, जबकि वह अपने ही लोगों की उन्नति कर सकने में असमर्थ है। इस प्रकार के परिवारों के मूलभूत अधिकारों को अस्वीकार करते समय सांप्रदायिक आधार पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार को भय है कि यदि जम्मू के सभी लोगों को मतदाता सूची में अंकित कर लिया गया तो 'वर्ग विशेष' का अनुपात उलट सकता है।

विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित न करके संवैधानिक उपबंधों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार कश्मीर का पलड़ा भारी पड़ता है। यह हमें अंग्रेजों की उस कूटनीति का स्मरण दिलाता है, जिसके द्वारा अंग्रेज़ अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देते थे।

केवल भारत के अन्य नागरिकों को ही यहां मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता वरन् राज्य के ही लोगों को संसद् में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानसभा के चुनावों के आधार पर राष्ट्रपति ही यहां से प्रतिनिधियों का नामांकन करता है। इस प्रकार संसद् में 'राज्य' का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का प्रतिनिधित्व कदापि नहीं। इसके परिणामस्वरूप चुनाव संघर्ष क्षेत्रीय और प्रांतीय आधार पर होता है। उसका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है। यहां के राजनीतिक दल मुश्किल से अखिल भारतीय नीतियों से संबंध रखते हैं। प्रजा परिषद् के अनुसार राज्य के लोगों को भारत विषयक विशेष जानकारी ही नहीं है। राज्य सरकार संविधान और शासन के अधिकारों के विषय में भी अत्यंत पक्षपाती है। यह केवल सत्तारूढ़ दल की स्वाभाविक कमज़ोरी नहीं, अपितु नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति पक्षपात की द्योतक है। जनता में ऐसे भाव विकसित किए जाते हैं, जिससे कि वे अपने को भारतीय न अनुभव करें, भारत के साथ भावात्मक एकात्मता के विचार उनमें न उत्पन्न हों, इस कारण से ही राज्य का एक अलग ध्वज, सदर-ए-रियासत और पृथक् संविधान रखा जाता है।

डॉ. मुखर्जी द्वारा विरोध

डॉ. मुखर्जी इन सभी पृथकतावादी प्रयासों के घोर विरोधी थे। वे संविधान की 370वीं धारा को निकालने के पक्षपाती थे, जो कि अस्थायी रूप से संविधान में प्रविष्ट कराई गई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत सरकार कश्मीर के लिए विशेष प्रकार की छूट देती है तो इसी प्रकार की मांग अनेक ओर से की जाने लगेगी। उनके सुझाव आज सत्य सिद्ध हो रहे हैं। जिस प्रकार के संविधान और प्रांत का रूप आज जम्मू-कश्मीर का है, उसी प्रकार के संविधान और पृथक प्रांत की मांग के रूप में आज अकाली आंदोलन जोर पकड़ रहा है। छूत का यह रोग बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने अपने को अकाली आंदोलन की मांगों के विरुद्ध घोषित किया है। देश के सभी राष्ट्रवादी दल और जनता का भी यही मत है। परंतु कश्मीर के विधान का क्या होगा? इसे भी तो इसके साथ ही दूर करना चाहिए। । संपूर्ण राष्ट्र डॉ. मुखर्जी का जन्मदिवस मनाएगा। आइए, हम इस बात के लिए प्रतिज्ञा करें कि हम उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही रहेंगे, जिसके लिए कि डॉ. मुखर्जी ने अपना जीवन होम कर दिया। उनकी मृत्यु संविधान की 370वीं धारा के कारण ही हुई। आज हम कह नहीं सकते कि उसके कारण और भी कितने लोग कष्ट उठाएंगे और उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे।

जम्मू के मार्ग पर डॉ. मुखर्जी ने एक सभा में कहा था, 'विधान दूंगा या जान दूंगा'। उनके विधान का अर्थ राज्य का एक संविधान नहीं था। वे भारतीय संविधान को कश्मीर की जनता को प्रदत्त करना चाहते थे। आज भी कश्मीर राज्य का एक संविधान है, पर भारतीय संविधान उनका संविधान नहीं। हमें उस क्षण तक विश्राम नहीं लेना है, जब तक कि जम्मू कश्मीर के हमारे भाई भी उस संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों का सुख न प्राप्त कर सकें, जिसका कि हम लोग करते हैं। हमें वह स्थिति लानी है, जबकि कश्मीर की जनता संविधान के अनुसार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। ऐसी स्थिति में ही वे चीन और पाकिस्तान द्वारा किए गए भूमि अपहरण से उत्पन्न वेदना को अनुभव करेंगे। तभी वे अपना सर्वस्व त्यागकर इस अपहृत भू-भाग को पुनः प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे। संविधान से 370वीं धारा का निष्कासन देश और कश्मीर राज्य की जनता में जागरूकता तथा चेतनता उत्पन्न करने के लिए जादू जैसा कार्य करेगा। लद्दाख क्षेत्र पर चीनी क़ब्जे को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर और भारत के बीच उत्पन्न की गई समस्त मानसिक संकुचितताओं को दूर करना आवश्यक है। ■

(पाञ्चजन्य, जुलाई 4, 1960)

डॉ. मुखर्जी इन सभी पृथकतावादी प्रयासों के घोर विरोधी थे। वे संविधान की 370वीं धारा को निकालने के पक्षपाती थे, जो कि अस्थायी रूप से संविधान में प्रविष्ट कराई गई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि भारत सरकार कश्मीर के लिए विशेष प्रकार की छूट देती है तो इसी प्रकार की मांग अनेक ओर से की जाने लगेगी। उनके सुझाव आज सत्य सिद्ध हो रहे हैं। जिस प्रकार के संविधान और प्रांत का रूप आज जम्म-कश्मीर का है, उसी प्रकार के संविधान और पृथक प्रांत की मांग के रूप में आज अकाली आंदोलन जोर पकड़ रहा है।

बाल गंगाधर तिलक

(23 जुलाई 1856– 1 अगस्त, 1920)

बाल गंगाधर तिलक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। उन्होंने 'इंडियन होमरूल लीग' की स्थापना सन् 1914 ई. में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन् 1916 में मुहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया।

जीवन परिचय

बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई, सन् 1856 ई. को भारत के रत्नागिरि नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने सन् 1876 ई. में बी.ए. आनर्स की परीक्षा पास की और सन् 1879 ई. में बंबई विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. किया। इसके बाद तिलक ने अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया।

स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार ज्यादा उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफ़ादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का लक्ष्य स्वराज था, छोटे- मोटे सुधार नहीं और उन्होंने कांग्रेस को अपने उग्र विचारों को स्वीकार करने के लिए राज़ी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन् 1907 ई. में कांग्रेस के 'सूरत अधिवेशन' में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फ़ैलाने का आरोप लगाकर उन्हें छह वर्ष के कारावास की सज़ा दे दी और मांडले, बर्मा, वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया। 'मांडले जेल' में तिलक ने अपनी महान कृति 'भगवद्गीता-रहस्य' का लेखन शुरू किया, जो हिन्दुओं की सबसे पवित्र पुस्तक का टीका है। तिलक ने भगवद्गीता के इस रूढ़िवादी सार को ख़ारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है; उनके अनुसार, इससे मानवता के प्रति निःस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है।

इंडियन होमरूल लीग की स्थापना

प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले सन् 1914 ई. में रिहा होने पर वह पुनः राजनीति में कूद पड़े और 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' के नारे के साथ इंडियन होमरूल लीग की स्थापना की। सन् 1916 ई. में वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 'इंडियन होमरूल लीग' के अध्यक्ष के रूप में तिलक सन् 1918 में इंग्लैंड गए। गौरतलब है कि तिलक पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा था कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। तिलक सन् 1905 ई. से सक्रिय राजनीतिक आंदोलन में पूरी तरह कूद गए थे। बंगाल के विभाजन के कारण देश में राष्ट्रवादी भावनाओं का ज्वार आया। इसी के साथ स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि स्वराज्य जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए।

सामाजिक और राजनीतिक दर्शन

अपनी पुरानी परंपरा और संस्थाओं के प्रति जनता में अब नई जागरूकता प्रकट हो रही थी। इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण थे पुरानी धार्मिक आराधना, गणपति-पूजन और शिवाजी के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर महोत्सवों का आयोजन। इन दोनों आंदोलनों के साथ तिलक का नाम घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तिलक का दृढ़ विश्वास था कि पुराने देवताओं और राष्ट्रीय नेताओं की स्वस्थ वंदना से लोगों में सच्ची राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना विकसित होगी। विदेशी विचारों और प्रथाओं के अंधानुकरण से नई पीढ़ी में अधार्मिकता पैदा हो रही है और उसका विनाशक प्रभाव भारतीय युवकों के चरित्र पर पड़ रहा है। तिलक का विश्वास था कि अगर स्थिति को इसी प्रकार बिगड़ने दिया गया तो अंततः नैतिक दिवालिएपन की स्थिति आ जाएगी, जिससे कोई भी राष्ट्र उबर नहीं सकता। तिलक के विचार में भारतीय युवकों को स्वावलंबी और अधिक ऊर्जावान बनाने के लिए उनको अधिक आत्म-सम्मान का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

सच तो यह है कि तिलक मौलिक विचारों के व्यक्ति थे। वह संघर्षशील और परिश्रमशील थे। वह विशेष प्रसन्नता का अनुभव तब करते थे, जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके अधिकांश कार्य परोपकार की भावना से भरे होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी लोगों की भलाई के लिए कार्य करना। उनमें योग्यता, अध्यवसाय, उद्यमशीलता और देशप्रेम का ऐसा अनूठा संगम था कि अंग्रेज़ सरकार उनसे हमेशा चौकस रहती थी। 1 अगस्त, सन् 1920 ई. में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। ■

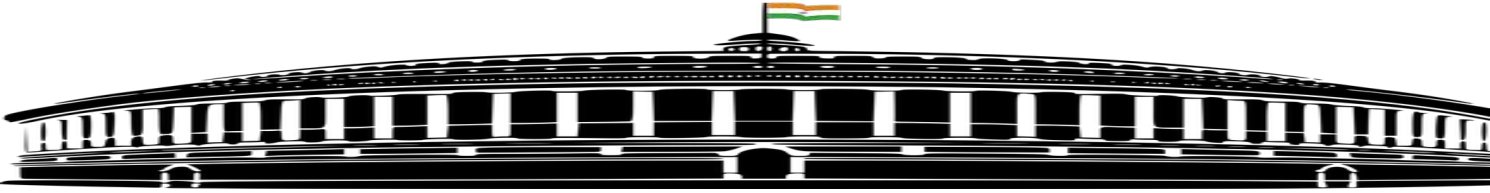

राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति का अभिभाषण नए भारत का विजन है: नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में 25 जून को कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नए भारत का विजन है, जिसका सपना लाखों भारतीय देखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के स्पष्ट जनादेश के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए एक स्थिर सरकार को दोबारा चुना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 दर्शाता है कि भारत के लोग राष्ट्र की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। यह भावना प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिलना तथा नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव संतुष्टि प्रदान करते हैं। केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण और आधुनिक बुनियादी ढांचे में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी विकास के रास्ते से नहीं हटी और न ही वह विकास के एजेंडा से भटकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक भारतीय नागरिक अधिकार संपन्न है और हमारे देश के पास आधुनिक बुनियादी ढांचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि प्रत्येक नागरिक ने भारत की प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने आपात स्थिति लागू होने के बाद के काले दिनों की याद दिलाई। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और भारत की आजादी के 75 वर्ष को भारत के इतिहास की ऐतिहासिक घटना बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इसे जोश के साथ मनाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कार्यभार संभालने के कुछ ही सप्ताहों के भीतर जनता के हितों से जुड़े अनेक फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से किसानों, व्यापारियों, युवाओं और समाज के विभिन्न अन्य वर्गों को अवश्य लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के साथ किए गए वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है।

जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया जिनमें 'जल शक्ति' मंत्रालय का गठन भी शामिल है। उन्होंने जल बचाने के लिए लोगों से ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जल संकट से गरीबों के साथ-साथ महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन्होंने यह बात दोहराई कि सरकार हर घर में जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए 'आसान जिंदगी' सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से 'नए भारत' के निर्माण की दिशा में काम करने का अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री का भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का आग्रह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए 26 जून को कहा कि लोकसभा के 2019 के चुनाव के जनादेश ने इस बात को दर्शाया है कि लोग स्थिरता चाहते है। उन्होंने कहा कि स्थिर सरकार चुनने की प्रवृत्ति अब विभिन्न राज्यों में दिखाई दे रही है। हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूची प्रक्रिया का परिमाण बहुत बड़ा है। उन्होंने कुछ नेताओं के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि 'लोकतंत्र नष्ट हो गया है।' उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे मतदाताओं के विवेक पर सवाल न उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'जनादेश और लोकतंत्र का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।'

प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर उठाए गए सवालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईवीएम ने मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और हिंसा की घटनाओं में कमी ला दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'अब खबरें केवल बढ़ते हुए मतदाताओं की संख्या से संबंधित हैं यह लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है।'

चुनाव सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में चुनाव संबंधी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सुधारों का होना बेहद आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने जिक्र किया कि 'एक देश, एक चुनाव' जैसे चुनाव सुधार प्रस्तावों के बारे में चर्चा करना और जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका भारत की जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी को अधिकार सम्पन्न बनाने में यकीन रखती है। उन्होंने देश के नागरिकों के लिए मकान, बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि आयुष्मान भारत को मजबूती प्रदान की जाए। हम चाहते हैं कि गरीब जनता को उच्च गुणवत्ता के साथ सस्ता इलाज सुलभ हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ आकांक्षी जिलों के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है। सहकारी संघवाद के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का होना जरूरी है। ■

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक

'जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह सर्वोच्च प्राथमिकता है'

लोकसभा

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विधेयक पर लोकसभा में 28 जून को विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा: आज इस महान सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है और दूसरा जम्मू-कश्मीर के संविधान के सेक्सन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें संशोधन करके कुछ क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन 28 दिसम्बर, 2018 को इसी सदन में किया गया था। वह छः महीने 2 जुलाई, 2019 को पूर्ण होंगे। चुनाव आयोग ने निर्णय किया है कि इस साल के अंत में वहां चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि राष्ट्रपति शासन की कालावधि को बढ़ाया जाए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल की अवधि के अंदर पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया गया है। इसी एक साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए हैं। इतना ही नहीं, 3700 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर की ग्राम पंचायतों के एकाउंट में ट्रांस्फर करने का काम किया जा रहा है। वहां पंचायतों और लोकसभा के चुनाव में मत प्रतिशत भी बढ़ा है और हिंसा भी नहीं हुई है। यह यही दर्शाता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में है। जहां तक विकास का सवाल है, ढेर सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। इसके कारण जम्मू-कश्मीर क्षेत्र व लद्दाख क्षेत्र के अंदर पहली बार जनता संतोष का अनुभव कर रही है। वर्षों से लंबित मामलों को निपटा दिया गया। पूर्वकाल में बंकर नहीं बनते थे, जानें चली जाती थीं, मवेशी मारे जाते थे। अब 50 हजार रुपये एक भैंस के मारे जाने पर दिया जाता है। लगभग 15 हजार बंकर बनाने का फैसला हुआ है। उनमें से 4400 बंकर बन चुके हैं। मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा दूसरा प्रस्ताव यह है कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3 परसेंट आरक्षण है, उसका लाभ इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी मिलना चाहिए। चाहे एल.ओ.सी. हो, एलएसी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, सीमाओं पर जो गांव बसे हैं, उनकी हार्डशिप्स एक समान है। इससे कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के साढ़े तीन लाख लोगों को लाभ होगा। मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूं कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करे।

राज्यसभा

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए श्री अमित शाह ने 1 जुलाई को कहा: आज जम्मू में एक दुखद हादसा हुआ है, जिसमें 35 लोगों की जान गयी है और 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस विधेयक पर हुई चर्चा में लगभग 27 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है। मैं सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि कम-से-कम सभी माननीय सदस्यों की बातों में एक बात सामान्य निकली कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस संबंध में, सदन के अंदर एकमत है। सदन ने आज जिस एकता का संदेश देश और दुनिया के सामने रखा है, आज जो बहस यहां हुई है, मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर की समस्या का हल करने में, विशेषकर घाटी की जनता के मनोबल को बढ़ाने में, वह बहुत बड़ा सहयोग करेगी। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई हिन्दुस्तान से अलग नहीं कर सकता। इस सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और हम उसे हरदम और हर पल उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हैं। यह सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, अपितु समविकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों के समविकास के लिए काम किया जाए और तीनों के विकास के लिए योजनाएं बनें। किसी हिस्से के साथ कभी भी विकास के मामले में ऊंच-नीच का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अनेक माननीय सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भी अटल जी के रास्ते पर चलते हुए जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के रास्ते पर ही चलेगी। मगर, जम्हूरियत कहने से मेरा आशय यह है कि इसे विधानसभा के 87 सदस्यों तक ही सीमित नहीं रखा जाए। आज़ाद साहब ने कहा कि 125 लोग जेल में थे। यह बात सही है कि विशिष्ट परिस्थिति के कारण 125 लोग जेल में थे, मगर मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि इतने साल हो गए, 40,000 लोग जो पंच सरपंच बनने का अधिकार रखते थे, 70 साल से घर में बैठे थे, किंतु चुनाव नहीं कराए गए।

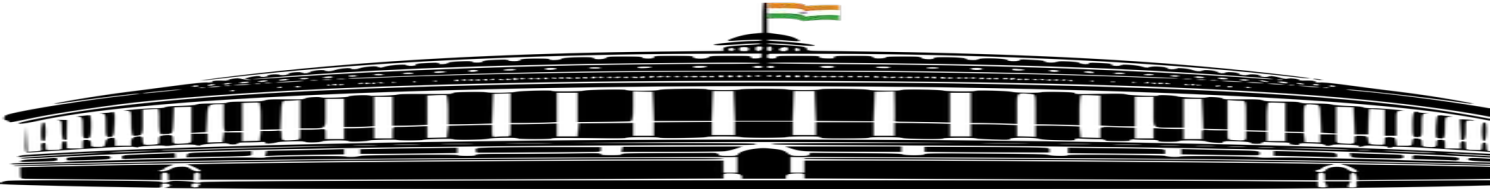

नरेन्द्र मोदी सरकार ने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का काम किया। लोकतंत्र तीन परिवारों के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र नीचे तक, गांव तक जाना चाहिए, 40 हजार पंच, सरपंचों तक जाना चाहिए और यह काम हमने किया। आज़ाद साहब ने कहा कि यह अच्छी बात है कि चुनाव में एक भी खून का कतरा नहीं बहा। लोकसभा के चुनाव में भी खून का कतरा नहीं बहा। जहां तक कश्मीरियत की बात है, हम भी मानते हैं कि कश्मीरियत को संभालना है। जो सूफी परंपरा थी, क्या वह कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर था। सूफी कहां चले गए। उनको किसने निकाल दिया? क्या वे कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित अपने ही देश के अंदर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। उनको घरों से निकाल दिया गया। इनके ढेर सारे धार्मिक स्थानों को तोड़ दिया गया। अगर आवाज़ कश्मीरी पंडितों के लिए आती, सूफी परंपरा के लिए आती, सूफी संतों के लिए आती और कश्मीरियत की बात करते, तो मैं भी मानता कि कश्मीरियत के लिए सबकी चिंता है। सारे सूफी संतों को, एक एक करके, चुन-चुन कर मार दिया गया, क्योंकि वे एकता की बात करते थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करते थे। कश्मीरी संस्कृति की भी बात करनी चाहिए और पूरे कश्मीर की बात करनी चाहिए। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की नीति है कि कश्मीर की जनता की संस्कृति का संरक्षण हम ही करेंगे और इसको फिर से पूर्व स्थिति में लाएंगे। एक समय आएगा, वहां क्षीर भवानी के मंदिर में कश्मीरी पंडित भी पूजा करते हुए दिखाई पड़ेंगे और सूफी भाई भी वहां पर दिखाई पड़ेंगे। इतने सारे स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चे अनपढ़ हो गए, पूरी की पूरी पीढ़ियां अनपढ़ होने लगीं। हमने राष्ट्रपति शासन के अंदर स्कूल चालू करा दिये। इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन के तहत नीचे तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया। हमने घर तक गैस पहुंचाई। हमने उनके घर में शौचालय पहुंचाया हमने उनके घरों में बिजली पहुंचाई है। यह इंसानियत की बात है। इस शासन में उन्हें खाना भी पहुंचा है। आज विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन डीबीटी के माध्यम से सीधी उनके बैंक एकाउंट में पहुंचती है। उनके जीवन-निर्वाह के लिए काम आता है। एक साल में पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना का कवरेज सबसे ज्यादा जम्मू-कश्मीर में हुआ है। जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब मिलेगा और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं, हमें उनके कल्याण की चिंता है। जम्मू-कश्मीर की आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत के किसी भी सूबे में जितनी सुख-सुविधा पहुंची है, वह घाटी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार आर्थिक अधिकार दिए और उनको फैसले खुद करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 356 का उपयोग कम-से-कम करना चाहिए। हमने तो परिस्थितिजन्य अनुच्छेद 356 का उपयोग किया।

प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। लोकसभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता, सदन को बुलाया था। इनमें एक निष्कर्ष निकला कि विधेयकों पर चर्चा समितियों में नहीं हो रही है। चाहे लोकसभा, राज्यसभा की स्थायी समीति हो या प्रवर समीति हो, समितियों के अंदर कम विधेयक ही जाते हैं। यह बात सही है। हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास भी करेंगे, मगर जब आकस्मिकता होती है, तब विधेयक को सभा में लाते हैं और हम विधेयक पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। मैं थोड़ी बातें रिकॉर्ड पर रख रहा हूं, रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए, कम-से-कम इस सदन का रिकॉर्ड साफ रहता है। यूपीए-।। के समय लाए गए कुल 180 विधेयक में से 125 विधेयक एक भी समिति के सामने नहीं गए थे। यूपीए-1 में 248 विधेयक आए, उनमें से 207 विधेयक एक भी समिति के सामने नहीं गए। हमारे समय के अंदर 180 विधेयक आए, जिनमें से 124 विधेयक समिति के अंदर जाकर आए। चुनाव की बात की गई है। मेरे द्वार आज लाए गए संकल्प का सभी ने समर्थन किया है और कश्मीर समस्या पर हम एकमत हैं। जहां तक चुनाव का सवाल है, एक मुद्दा बार-बार उठाया गया कि पंचायतों के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा, लोकसभा के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा, तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। यह भी कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? हम तो कहते हैं। कि देश भर की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। यदि आप अभी "हाँ" बोल दें, मैं कल लोकसभा के अंदर बिल लेकर आऊंगा और पूरे देश भर की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाएंगें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा मुद्दा आया है कि दोनों चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? मैं इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ छः सीट्स होती हैं, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। वहां ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया है कि हम प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर चुनाव करवाएं। अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसके लिए 1,000 प्रत्याशी फॉर्म भरे जाते हैं। इन सबको जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, इसके लिए सुरक्षा बलों ने चुनाव आयोग के सामने साफ शब्दों में अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि अगर चुनाव एक साथ कराते हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती करनी है। इसलिए हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रपति शासन के ज़रिए शासन करने का किसी को शौक नहीं है। मगर सुरक्षा सरोकार के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे। अब लोकसभा चुनाव के बाद अमरनाथ की यात्रा का समय आ गया था। इसलिए फिलहाल चुनाव न कराने का सुझाव सुरक्षा बलों का था, जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रशासन का निर्णय था और यह फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। हम चुनाव नहीं कराते हैं, चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है, उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी है, चुनाव आयोग जब भी चुनाव कराने के लिए उपयुक्त स्थिति मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, तो हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे, तुरंत चुनाव होंगे। यह कहना कि पूरा कश्मीर विवादित है, यह सही नहीं है। कुछ विवादित

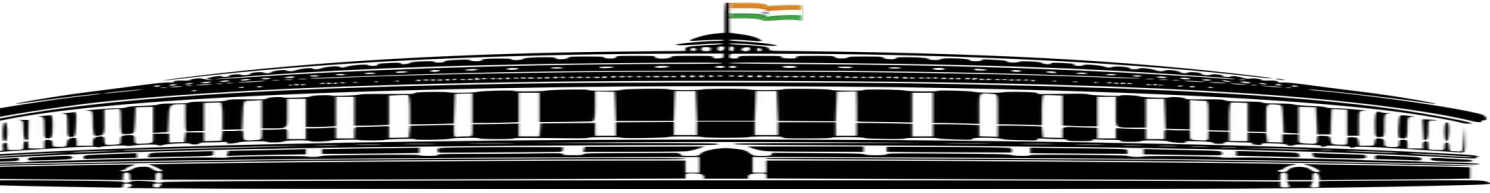

नहीं है, न कश्मीर विवादित है और न ही पी.ओ.के. विवादित है, ये सब भारत के अभिन्न अंग हैं।

किसी माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया है कि हमने पी.डी.पी. के साथ गठबंधन क्यों किया। पी.डी.पी. के साथ गठबंधन करने का फैसला हमारा नहीं था, यह जम्मू-कश्मीर की जनता का फैसला था। हमें एक खण्डित जनादेश मिला था और खण्डित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अन्दर अगर कोई भी दो दल इकट्ठा नहीं होते हैं, तो बहुमत की संभावना ही नहीं है। काफी समय तक राज्यपाल शासन लगा रहा था, जब कुछ नहीं हुआ, तब न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनायी थी, मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, हमने तनिक भी देर नहीं की, समर्थन वापस ले लिया और हम सत्ता से बाहर आ गए। वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने, मगर जब कोई नहीं आया तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हमने एक सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल के लिए दो एडवाइज़री इश्यू कर दी है। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही एडवाइज़री जारी करता है। कानून और व्यवस्था की समस्याओं के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की गयी है। राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए एडवाइजरी जारी की गयी है, क्योंकि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। जबसे उत्तर प्रदेश में हमने सत्ता की बागडोर संभाली है तबसे किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस प्रकार की राजनैतिक हत्याएं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हैं। इसको तुरंत बंद करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण विधेयक के यहां से पारित हो जाने के बाद उसे विधानसभा से पारित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी विधानसभा के सभी अधिकार इन्हीं दोनों सदनों में निहित हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि घुसपैठ रोकी जानी चाहिए और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। हम हिन्दू शरणार्थियों के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। मैं यह साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि हम नागरिक संशोधन विधेयक लाकर सारे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने जा रहे हैं। हम नेहरू जी के बारे में कोई गलत विचार नहीं रखना चाहते हैं। हम देश और देश की जनता को गुमराह भी नहीं करना चाहते हैं। किन्तु जो इतिहास की भूलों से नहीं सीखते हैं, उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। हमें मकबूल शेरवानी, ब्रिगेडियर उस्मान और ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह याद हैं। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले ऐसे सपूतों के प्रति हमारे दिल में आदर है। मैं जनवरी, 1949 के युद्ध विराम का कारण जानना चाहता हूं। यह एक गलती थी। हम संयुक्त राष्ट्र गये। यह भी एक गलती थी। क्या हमें अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहिए। हमें जनमत संग्रह के लिए सहमति नहीं देनी चाहिए थी। ये सवाल इतिहास में हमेशा के लिए रहेंगे। सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया था। शेख अब्दुल्ला एक वरिष्ठ नेता थे किन्तु उनके साथ क्या हुआ। मैं इतिहास जानता हूं पर हमें इस सभा में ऐतिहासिक तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। हम टी.वी. नेटवर्क बंद करना नहीं चाहते हैं। जिसको जो दिखाना है वह दिखा सकता है। हम घाटी के लोगों का विश्वास जीतेंगे। हम उन्हें गुमराह नहीं होने देंगे। यही बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को खलती है। इसी तुष्टीकरण ने घाटी की मानसिकता बिगाड़ने का भी काम किया है।

मैं युद्धविराम के आंकड़ों को उस दिन प्रस्तुत करूंगा जिस दिन चर्चा कराई जायेगी। परंतु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जम्मू में पहले युद्धविराम नहीं होते थे। इतनी मात्रा में युद्धविराम होते हैं कि हमें सुरक्षा के लिए 15,000 बंकर बनाने का निर्णय करना पड़ा और 4,000 बंकर हमने बना दिए हैं। हमारी सरकार देश में सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। आतंकवाद के लिए हम शून्य सहिष्णुता की नीति लेकर चलते हैं। हमने आज तक सबसे ज्यादा सीआरपीएफ की कंपनियां भी वहां पहुंचाई हैं। जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ की जो कंपनियां हैं, उनको आधुनिक साधनों से लैस करने के लिए 2300 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हमने बीपी वाहन, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरा और रडार दिए हैं। सरकार ने प्रशिक्षण के भी काफी सारे काम परे किए हैं। एक बहु-विषयक आतंक निगरानी समूह की भी रचना की गई है, जिससे विभिन्न एजेन्सीज़ जैसेकि सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि के बीच में अच्छा समन्वय हो सके। इसके लिए मार्च, 2019, से एक नए ग्रुप का गठन किया गया है, जो सप्ताह में दो बार बैठता है और अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जमात-ए-इस्लामी, जिसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था, प्रतिबंध लगाया है। आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोगों की निवारक गिरफ्तारी की गई। जो लोग भारत के विरोध में बात करते थे और जम्मू-कश्मीर की आवाम को गुमराह करते थे, उन लोगों को भी सुरक्षा दी गई थी और जनता की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लगभग दो हजार व्यक्तियों की सुरक्षा को हमने रिव्यू किया, उसमें से 919 लोगों की सुरक्षा को सरकार ने पूरी तरह वापस लेने का काम किया, जिसमें 18 अलगाववादी नेता भी हैं। अलगाववाद और आतंकवाद को रोकना के लिए यह बहुत उपयोगी कदम है। पाकिस्तान के अवैध चैनल पर लगाम लगा दी गई है। इस

जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, अलगाववादी का सवाल है, जो भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते, जो भारत के संविधान को नहीं मानते। उनके लिए इस सरकार की योजना में कोई जगह नहीं है।

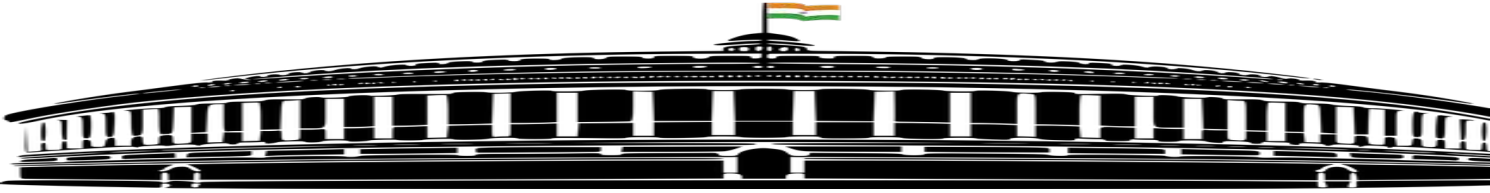

देश के कई दलों के कई राजनैतिक नेता आतंकवाद की बलि चढ़े हैं। एक के बाद एक सभी सरकारों ने आतंकवाद के खिलाफ अपने-अपने तरीके से लड़ाई लड़ी है। पहले पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर लगते थे और वहां उनकी ट्रेनिंग होती थी। फिर आतंकी यहां वारदातें करते थे, जिसमें वे खुद मारे जाते थे और जवान व नागरिक मारे जाते थे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपनी ज़मीन पर ही लड़ी जाती थी। किन्तु यह सरकार आतंकवाद की जड़ में जाकर उसे खत्म करेगी। उरी की घटना के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया। सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनियाभर में एक संदेश भेजा गया कि भारत की सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। इसके बाद आतंकवादियों ने पुलवामा के अंदर हमला कर दिया गया जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। सबको लगता था कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय दिया और हवाई हमले करने का निर्णय किया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। अब सुरक्षा नीति को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। 70 साल तक सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच में घालमेल होता था। विदेश नीति के नाम पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। पहली बार, विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अलग कर दिया गया है। हम दुनिया भर में शांति चाहते हैं। यह तभी होगा जब हमारी सीमाओं का सम्मान किया जायेगा। हमने सड़कों को सीआरपीएफ के काफिले की आवाजाही के लिए बंद करते हैं और ऐसा पहले भी हुआ है।

कांग्रेस का शासन था, तब 365 दिनों में से 300 दिन तक कर्फ्यू रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर, आपके शासन में कर्फ्यू लगते रहे हैं। सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही ऐसा नहीं होता। जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और उन्हीं नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाने पड़ते हैं। जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वहां देश भर से यात्री जा रहे हैं। अब तक पूरे देश से 17 हजार और जम्मू-कश्मीर के 24 हजार लोग वहां हैं। यह जो फैसला लिया गया है, यह जम्मू-कश्मीर में रह रहे लोगों और देश भर से वहां पहुंच रहे यात्रियों के भले के लिए लिया गया है। आतंकवादियों के लिए जो पैसा आता था, उसे रोकने के लिए कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने पहली बार एनआईए का उपयोग करके पाकिस्तान से पैसे आने के सभी चैनलों को बन्द कर दिया है। आज वहां सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। वहां 21 मामलों की जांच चल रही है। आतंकवाद कभी भी बातों से खत्म नहीं होता है। आतंकवाद कभी जन भावनाओं से खत्म नहीं होता है, बल्कि उस पर कड़ा प्रहार करना पड़ता है। गोला-बारूद के लिए एलओसी के व्यापार का उपयोग किया जाता था। उन सभी फर्मों को निलम्बित करने का काम किया गया है। अलगाववादियों यहां स्कूलों को बन्द करा दिया। सरकार घाटी की जनता से कहना चाहती है कि इनकी बातों में आकर गुमराह होकर आप अपने हाथों में पत्थर मत उठाइए और हाथ में हथियार मत लीजिए। इन लोगों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं और उन्होंने यहां पर स्कूलों को बन्द करा दिया। एनआईए के मामले में भी लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक 137 से ज्यादा लोगों पर हमने देश की अलग-अलग अदालतों में चालान दाखिल कर दिए हैं। विकास के बहुत सारे काम पूरे हो गए हैं। सरकार ने 80 हजार करोड़ रुपये की जो घोषणा की थी। इसके अंतर्गत भारत सरकार के पंद्रह मंत्रालय सम्मिलित थे। उसमें 63 परियोजनाएं हैं, जिनमें हमने 2 एम्स, 2 आईआईएम, 2 आईआईटी दिए हैं। उनमें से 16 परियोजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और 80 हजार करोड़ रुपये में से 80 प्रतिशत रुपया पहुंच चुका है। बाकी सब काम चालू हैं। हमने लगभग 6 लाख से ज्यादा परिवारों तक आयुष्मान भारत की स्कीम पहुंचाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार गरीबों को घर दिए हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 85 हजार किसानों को भुगतान किया है। 45 हजार लाभार्थियों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। आज असंगठित क्षेत्र के 55 हजार, 544 मजदूर पेंशन योजना के साथ जुड़कर अपनी सेविंग्स कर रहे हैं। 28 अक्टूबर, 2018 को सभी घरों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य समाप्त कर दिया गया है। राज्य को ओडीएफ का दर्जा भी मिला है। राज्य में स्टार्ट-अप कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए नई पॉलिसी बनाई है। श्रीनगर और जम्मू के लिए लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम की स्थापना करने के लिए भी काम हो रहा है। कुल 126 योजनाओं में से 18 योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर 1 से 3 नंबर पर है। पंचायती राज के चनाव हुए हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप सारी शक्तियां उन्हें दे दी गई हैं। दूसरे चरण में तहसील और जिला परिषद के चुनावों की प्रक्रिया भी अभी शुरू की गई है। पत्थर वह गांव का बच्चा उठाता था। उसके हाथ में थोड़े रुपये पकड़ा देते थे। आज गांवों में ये 3,700 करोड़ रुपये पहुंचेंगे, तो गांवों के अन्दर विकास होगा, रोज़गार पहुंचेगा इससे भी कानून और व्यवस्था करने में बहुत बड़ा फायदा होगा। सेना ने 45 सद्भावना विद्यालय खोले हैं। सीआरपीएफ ने स्वास्थ्य हेल्पलाइन खोली है, सीआरपीएफ ने भी 17 विद्यालय खोले हैं, बीएसएफ ने भी खोले और व्यक्ति प्रतिभा पोषण में हमने बहुत सारे बच्चों को आगे ले जाने का कार्य किया है। कश्मीर समस्या बहुत पुरानी है। अगर समस्या 1947 से लेकर 2019 तक समाप्त नहीं हुई, तो नए नजरिए की ज़रूरत है, नई सोच की ज़रूरत है। घाटी हमारी है। भाई हम उनका उन्नयन करना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह वे भी आगे बढ़े जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, अलगाववादी का सवाल है, जो भारत के साथ कश्मीर के जुड़ाव को स्वीकार नहीं कर सकते, जो भारत के संविधान को नहीं मानते। उनके लिए इस सरकार की योजना में कोई जगह नहीं है। उन पर कठोरता भी होगी और उनको कठिनाइयां भी होंगी। हम जो विस्तार लेकर आए हैं, कृपया इसको पीछे से सरकार चलाने का हथकंडा मत समझिए। किसी एक राज्य के अन्दर, एक सूबे के अन्दर सरकार चलाने के लिए हम 356 का उपयोग नहीं करेंगे। ■

लोकतंत्र देश का संस्कार, संस्कृति और विरासत : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकतंत्र को देश के संस्कार, संस्कृति और विरासत का हिस्सा बताया और आपातकाल का जिक्र करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जतायी। श्री मोदी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आकाशवाणी पर प्रसारित पहले 'मन की बात' कार्यक्रम में 30 जून को अपने संबोधन में जल संरक्षण के महत्व और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भी रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं था। दिन-रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है, इसका पता नहीं होता है, वैसे ही सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकार का मजा क्या है वो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन ले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक, आन्दोलन सिमट नहीं गया था। जन-जन के दिल में एक आक्रोश था। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए, कानून नियमों से परे, लोकतंत्र हमारे संस्कार हैं, लोकतंत्र हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र हमारी विरासत है। आपातकाल में हमने अनुभव किया था और इसीलिए देश, अपने लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा का चुनाव अब तक के इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था।

श्री मोदी ने कहा कि भारत में 2019 के लोकसभा चुनाव में 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। यह संख्या हमें बहुत ही सामान्य लग सकती है, लेकिन अगर दुनिया के हिसाब से देखें और चीन को छोड़ दिया जाए तो भारत में विश्व के किसी भी देश की आबादी से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के एक रिमोट इलाके में महज एक महिला मतदाता के लिए मतदान केंद्र बनाया गया। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को वहां पहुंचने के लिए दो-दो दिन तक यात्रा करनी पड़ी- यही तो लोकतंत्र का सच्चा सम्मान है।

श्री मोदी ने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मेरा पहला अनुरोध है– जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आइए, वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रमों में 'गुलदस्ता नहीं किताब'

देने के अपने आग्रह को दोहराते हुए सभी लोगों से नियमित रूप से किताब पढ़ने के लिये समय निकालने का आग्रह किया। उन्होंने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जिक्र करते हुए उनकी कहानी 'नशा', 'ईदगाह' और 'पूस की रात' का उल्लेख भी किया।

श्री मोदी ने कहा आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, 'बूके नहीं बुक।' मेरा आग्रह था कि क्या हम स्वागत-सत्कार में फूलों के बजाय किताबें दे सकते हैं। तब से काफ़ी जगह लोग किताबें देने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हाल ही में किसी ने 'प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियां' नाम की पुस्तक दी। उन्हें बहुत अच्छा लगा। हालांकि, बहुत समय तो नहीं मिल पाया, लेकिन प्रवास के दौरान मुझे उनकी कुछ कहानियां फिर से पढ़ने का मौका मिल गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी मीडिया में केरल की अक्षरा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये लाइब्रेरी इडुक्की के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में है। यहां के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पी.के. मुरलीधरन और छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाले पी.वी. चिन्नाथम्पी, इन दोनों ने, इस लाइब्रेरी के लिए अथक परिश्रम किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात देश और समाज के लिए आईने की तरह है। ये हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मज़बूती, ताक़त और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद आपके बीच 'मन की बात' जन-जन की बात, जन-मन की बात इसका हम सिलसिला जारी कर रहे हैं। चुनाव की आपाधापी में व्यस्तता तो ज्यादा थी, लेकिन मन की बात का मजा ही गायब था, एक कमी महसूस कर रहा था। हम 130 करोड़ देशवासियों के स्वजन के रूप में बातें करते थे। ■

ओसाका (जापान) में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ओसाका (जापान) में जी–20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ओसाका (जापान) में जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में राजग व विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-19